मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 26 | अंक : 6 | फरवरी 2026 |

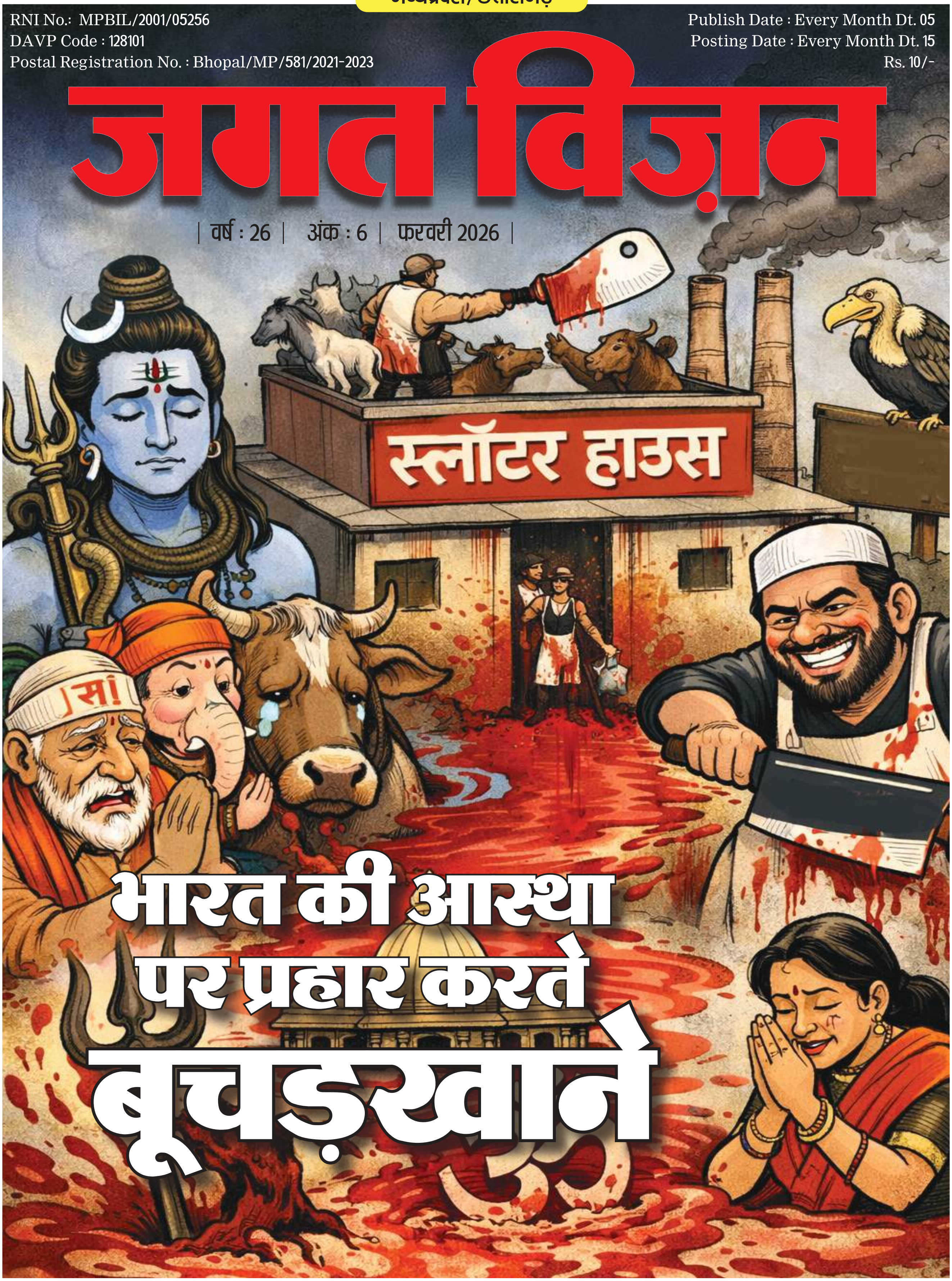

भारत की आस्था पर प्रहार करते बूचड़खाने

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 26 अंक 06 फरवरी 2026**

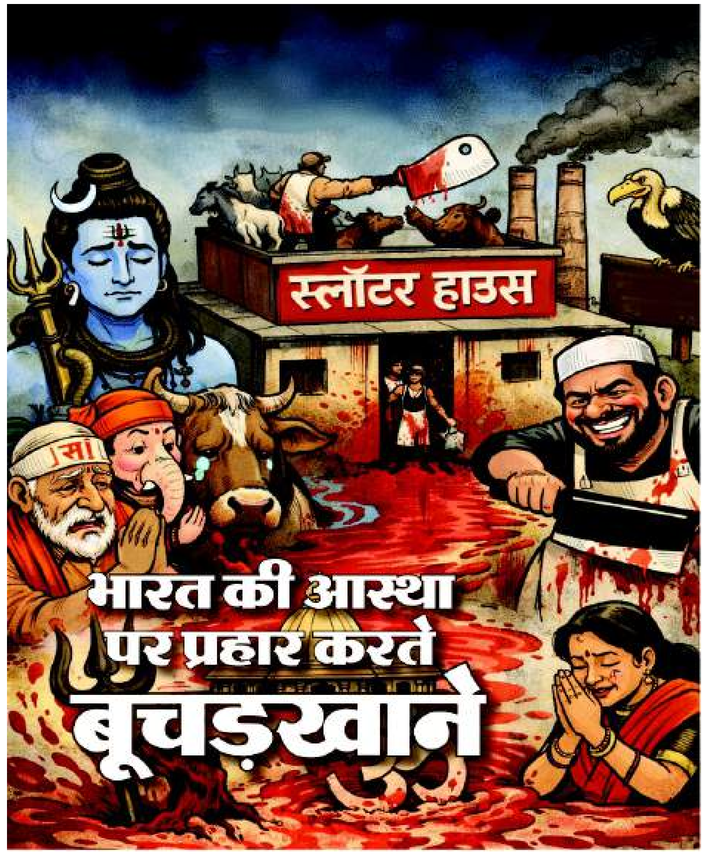

(पृष्ठ क्र.-6)

- दांगी IPS अफसरों से प्रमोशन से छत्तीसगढ़ में मचा सियासी बवाल 32
- वर्तमान नहीं, भविष्य की धुंधली तस्वीर आधारित बजट 38
- अवैध धर्मांतरण की समस्या से सख्ती से निपटने की जरूरत 44
- भागवत जी संघ को भाजपा के रूप में देखना लाचारी है 48
- दावोस 2026 का कूटनीतिक विद्रोह और बदलती विश्व व्यवस्था 52
- वैभव सूर्यवंशी : भारत का उभरता क्रिकेट का सितारा 58
- 1857 स्वातंत्र्य समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह 60
- Bihar looks set to become a graveyard of social justice 62

माननीय, सवालों से इतने क्यों डरे?

संपादकीय

ट्रंप की विश्व शक्ति बनने की जिद के मायने

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा व्यक्त करना पहली नज़र में भले ही एक अजीब या अव्यावहारिक विचार लगे, लेकिन इसके निहितार्थ वैश्विक राजनीति, भू-रणनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए अत्यंत गंभीर रहे हैं। ट्रंप की यह जिद केवल एक भू-भाग को हासिल करने की आकांक्षा नहीं थी, बल्कि यह 21वीं सदी की महाशक्ति राजनीति में उभरते नए संघर्षों और प्राथमिकताओं का प्रतीक बन गई। ग्रीनलैंड, जो भौगोलिक रूप से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। रणनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र आर्कटिक महासागर में स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है, वहां नए समुद्री मार्ग, खनिज संसाधन और उर्जा संभावनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ में हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की जिद इसी व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा थी।

ट्रंप के इस बयान ने सबसे पहले अमेरिका और डेनमार्क के संबंधों में असहजता पैदा की। डेनमार्क ने इसे सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड बिकाउ नहीं है। इससे यह सवाल उठा कि क्या आधुनिक विश्व में संप्रभुता को अब भी सौदेबाजी की वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। ट्रंप का यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाता है, जहां शक्तिशाली देश छोटे या रणनीतिक क्षेत्रों को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर भी प्रश्नचिह्न लगा। वैश्विक स्तर पर इस जिद का एक बड़ा प्रभाव यह रहा कि आर्कटिक क्षेत्र अचानक विश्व राजनीति के केंद्र में आ गया। रूस पहले से ही आर्कटिक में सैन्य और आर्थिक गतिविधियां बढ़ा रहा है, जबकि चीन स्वयं को नियर-आर्कटिक स्टेट बताकर वहां निवेश और शोध के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ट्रंप के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका भी इस क्षेत्र को भविष्य की शक्ति-संतुलन की कुंजी मानता है। इससे आर्कटिक के सैन्यीकरण और प्रतिस्पर्धा की आशंका और बढ़ गई।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोटे और स्वायत्त क्षेत्रों पर भी पड़ा। ग्रीनलैंड की स्थानीय आबादी ने यह महसूस किया कि वैश्विक शक्तियां उनके भूभाग को रणनीतिक मोहरे के रूप में देख रही हैं, न कि वहां रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं और अधिकारों के संदर्भ में। इससे आत्मनिर्णय के अधिकार और स्थानीय स्वायत्तता की बहस को नई धार मिली। ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की जिद ने अमेरिकी विदेश नीति की शैली पर भी सवाल खड़े किए। पारंपरिक कूटनीति, सहयोग और बहुपक्षीय संवाद के बजाय, यह रवैया शक्ति प्रदर्शन और सौदेबाजी पर आधारित दिखाई दिया। इससे अमेरिका की वैश्विक छवि को भी आघात पहुंचा और सहयोगी देशों के बीच यह संदेश गया कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जिद एक व्यक्तिकी सनक भर नहीं थी, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति का संकेतक थी। इसने आर्कटिक क्षेत्र को नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना दिया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अविश्वास को बढ़ाया और संप्रभुता तथा आत्मनिर्णय जैसे मूल सिद्धांतों पर बहस छेड़ दी। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि दुनिया इस तरह की शक्ति-केंद्रित राजनीति को स्वीकार करती है या सहयोग और संतुलन की राह चुनती है।

विजया पाठक

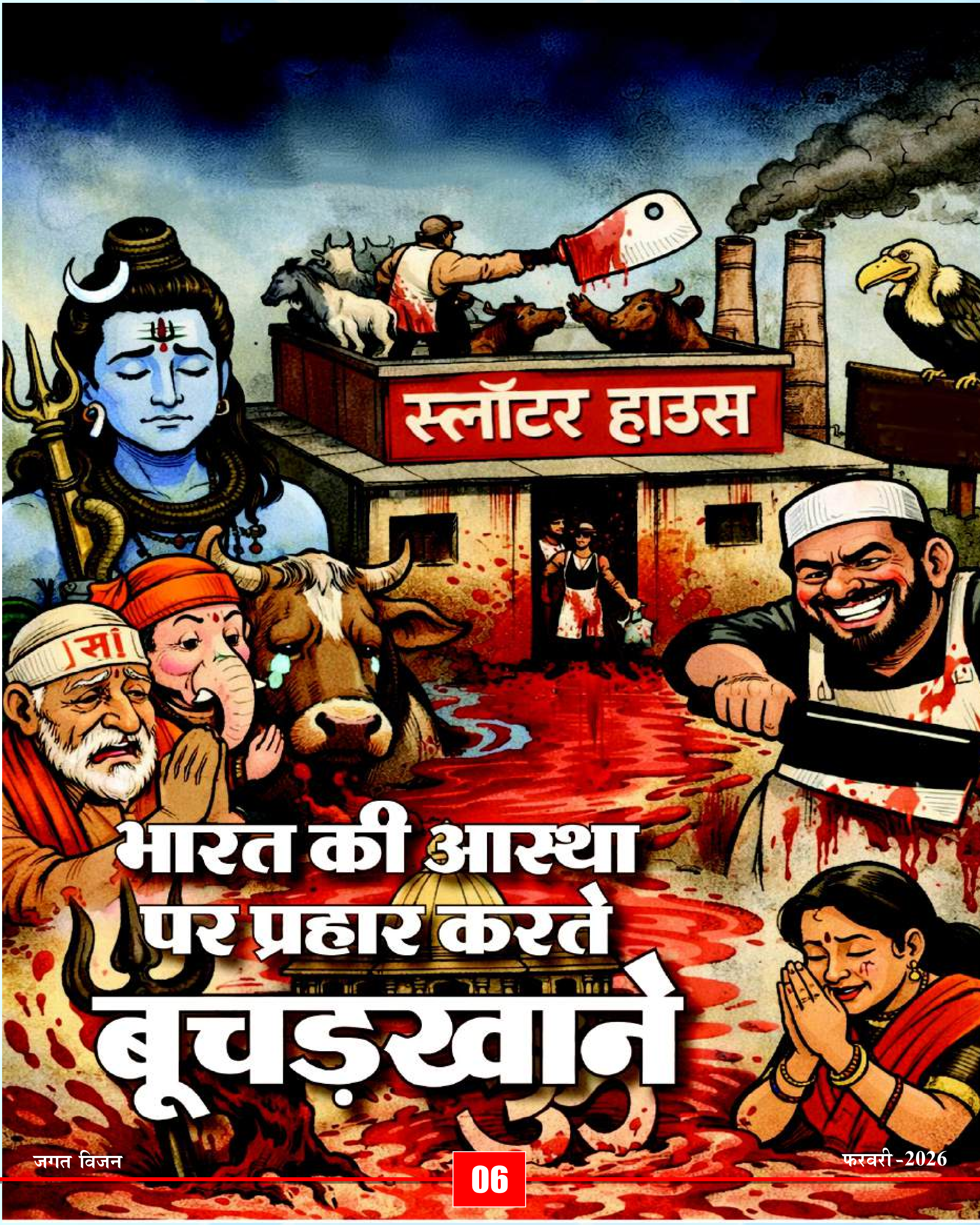

भारत की आस्था पर प्रहार करते बूचड़खाने

भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। इसे पूजा जाता है। सनातन की इस परंपरा में पिछले कुछ सालों से सेंध लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। हिन्दु धर्म की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही हैं। देश के अंदर मौजूद हजारों वैध या अवैध बूचड़खानों (स्लॉटर हाउस) में गायों की हत्याएं की जा रही हैं। देश में प्रतिदिन 20 से 25 हजार गाय या गौवंश पकड़ा जा रहा है जबकि 50 हजार गायों की रोजाना हत्या की जा रही है। दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। भारत में कुल 72 बूचड़खाने हैं, जिसे लाइसेंस प्राप्त हैं जिसमें से अकेले यूपी में 38 बूचड़खाने हैं। 400 से ज्यादा बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं। इसमें 04 बूचड़खाने ऐसे भी हैं जिसे सरकार खुद चलाती है। हाल ही में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ाए गौ मांस से पूरे देश में भूचाल आ गया है। सनातन धर्म का पालन करने वाले कई संगठन सड़कों पर उतर कर सियासतदारों को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी सत्तासीन सरकारों से सवाल कर रही हैं और आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही हैं। खासकर बीजेपी शासित सरकारों को सनातन संस्कृति का अपमान करने का दोषी मान रही हैं। यही भी सच है कि देश के अंदर भाजपा शासित राज्यों में ही सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं, जिनमें ज्यादातर अवैध हैं और यहां पर खुलेआम गौ मांस की मंडी लगती है। अवैध तरीके से देश से बाहर निर्यात किया जाता है। यह पूरा नेटवर्क बड़े स्तर पर काम करता है। जिसमें राजनेता से लेकर प्रशासन स्तर पर भी सहभागिता होती है। देखने को तो गौ हत्या को रोकने के लिए भारत में कई प्रकार के कानून प्रचलन में है। हालांकि सभी राज्यों के अपने-अपने कानून है। ऐसे में गौ हत्या को लेकर भारत सरकार का कोई एक कानून नहीं है और न ही विभिन्न राज्यों के कानून में किसी प्रकार की समरूपता देखने को मिलती है। भारत के केवल दस राज्यों में ही गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का कानून पारित कर रखा है। कई राज्यों में आंशिक कानून है तो कई ऐसे भी राज्य है जहां गौ हत्या को लेकर किसी प्रकार का कानून नहीं है। कानून की इसी कमी के चलते कई बार गौ हत्या निषेध वाले राज्यों से अन्य राज्यों को गौ तस्करी की जाती है। गौ तस्करी के चलते कई बार विवाद होने के साथ ही सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण पर भी विपरित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। भारत कुल मीट निर्यात में तीसरा और बफैलो मीट निर्यात में दुनिया में पहला स्थान रखता है। देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं। इन आंकड़ों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बड़ी तादाद में अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। तमिलनाडु में 425, मध्य प्रदेश में 262 और महाराष्ट्र में 249 बूचड़खाने रजिस्टर्ड हैं। देश के कुल 55 फीसदी रजिस्टर्ड बूचड़खाने इन्हीं तीन सूबों में चल रहे हैं। देश भर में 162 बूचड़खानों को प्रदेश स्तरीय लाइसेंस मिले हैं, जबकि 117 को केंद्रीय लाइसेंस हासिल हैं। इसी तरह, आंध्रप्रदेश में 01, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 09, असम में 51, बिहार में 05, छत्तीसगढ़ में 111, दिल्ली में 14, गोवा में 04, गुजरात में 04, हरियाणा में 18, हिमाचल प्रदेश में 82, जम्मू-कश्मीर में 23, झारखंड में 11, कर्नाटक में 30, केरल में 50, लक्षद्वीप में 65, मणिपुर में 04 और मेघालय में एक बूचड़खाना रजिस्टर्ड है। ओडिशा में 05, पुडुचेरी में 02, पंजाब में 112, राजस्थान में 84, उत्तराखंड में 22 और पश्चिम बंगाल में ०७ बूचड़खाने रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा अवैध रूप से हजारों की संख्या में स्लॉटर हाउस संचालित हो रहे हैं।

वैध और अवैध स्लॉटर हाउस से धूमिल हो रही देश की छवि

विजया पाठक

> **देश में प्रतिदिन 20 से 25 हजार गाय या गौवंश पकड़ा जा रहा है जबकि 50 हजार गायों की रोजाना हत्या की जा रही है। दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। देश में वर्ष 2013-14 तक 13.75 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। वर्ष 2025-26 तक इसे 40 करोड़ टन प्रतिवर्ष पहुंचाना है।**

देश के 29 राज्यों में से 24 में गौहत्या पर प्रतिबंध है। लेकिन रिपोर्ट दूसरा पहलू उजागर करतीं है। झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में प्रतिबंध के बावजूद गायों की हत्या की जा रही है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे हिन्दी भाषी राज्यों में तो गायों की हत्या के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, यहां गौ-तस्करी होती रहती है। बिहार में गैर-लाइसेंसी बूचड़खानों में अवैध गौहत्या होती है। देश में प्रतिदिन 20 से 25 हजार गाय या गौवंश पकड़ा जा रहा है जबकि 50 हजार गायों की रोजाना हत्या की जा रही है। दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। देश में वर्ष 2013-14 तक 13.75 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। वर्ष 2025-26 तक इसे 40 करोड़ टन प्रतिवर्ष पहुंचाना है। दुधारू पशुओं की हत्या के कारण यह लक्ष्य हासिल करना कठिन हो रहा है। दुधारू पशुओं की हत्या से देश में प्रतिदिन 80 से 85 लाख लीटर दूध की क्षति हो रही है। इसमें 30 से 35 प्रतिशत हिस्सेदारी गाय के दूध की होती है। विभिन्न राज्यों की बात करें तो झारखंड में एक दावे के अनुसार 10 जिलों में 30 बूचड़खानों में गौवंश की अवैध कटाई होती है। पूरे महाराष्ट्र में रोजाना एक हजार से अधिक गायों का कत्ल होता है। नए कानून के

नोटिफाई होने से पहले राज्य में रोजाना 9 लाख किलो बीफ बिकता था। इसमें से 80 फीसदी बैल बछड़े का और 20 फीसदी भैंस का होता था। राज्य के कुल 338 कसाईखानों में से 144 अवैध थे। दिल्ली में चोरी-छुपे गौहत्या भी होती है। पंजाब में गौहत्या और तस्करी में लगभग एक हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में 35 क्विंटल गाय का मांस जब्त किया गया। अवैध गौवंश कटान के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी तस्करी के जरिये पशु लाए जाते हैं। यहां के अवैध बूचड़खानों में चोरी-छुपे गौहत्या भी की जाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चार लाइसेंसी वधशालाओं में प्रतिदिन कम-से-कम 21 से ज्यादा गाय काटी जाती हैं। बिहार शरीफ में एक भी लाइसेंसी वधशाला

अवैध गौवंश कटान के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी तस्करी के जरिये पशु लाए जाते हैं। यहां के अवैध बूचड़खानों में चोरी-छुपे गौहत्या भी की जाती है।

नहीं है, इसके बावजूद यहां से बड़ी मात्रा में कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश गौमांस का निर्यात किया जाता है। शहरी क्षेत्र की 50 से भी अधिक दुकानों में गाय काटी जा रही है। यहां कई मुहल्लों में खुलेआम गाय का मांस बेचा जाता है। राज्य में कानून तो सख्त है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। रोहतास जिले में सासाराम सहित आधा दर्जन जगहों पर एक दर्जन से ज्यादा गैर लाइसेंसी बूचड़खाने हैं। इनमें प्रतिदिन औसतन 50 से ज्यादा गाय और बछड़ों की कटाई होती है। जिले में सिर्फ चार बूचड़खाने लाइसेंसी हैं, जो सासाराम में हैं। सासाराम से प्रतिदिन कोलकाता के विभिन्न बूचड़खानों में 50 से ज्यादा गाय भेजी जाती हैं। मोतिहारी में भी हर दिन 24 गाय काटी जाती हैं। फुलवारी शरीफ में औसतन 2000 किग्रा और पटना शहर में 2000-2500

किग्रा प्रतिदिन की खपत है। नवादा से यहां हर रोज दो ट्रक पशु कोलकाता और बांग्लादेश जाते हैं। पूर्णिया, दरभंगा और मधेपुरा में भी चोरी-छिपे गौमांस की बिक्री होती है। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित होने के चलते तस्कर पशुओं को दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है। पता चला है कि पशुओं को हरियाणा के मेवात से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित बूचड़खानों में ले जाया जाता है। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों से मेवात और मुरादाबाद ले जाया जाता है। दूसरा रूट

बूचड़खाने: एक नजर में...

अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक भी बूचड़खाना रजिस्टर्ड नहीं है। तमिलनाडु में 425, मध्य प्रदेश में 262 और महाराष्ट्र में 249 बूचड़खाने रजिस्टर्ड हैं। देश के कुल 55 फीसदी रजिस्टर्ड बूचड़खाने इन्हीं तीन सूबों में चल रहे हैं। देश भर में 162 बूचड़खानों को प्रदेश स्तरीय लाइसेंस मिले हैं, जबकि 117 को केंद्रीय लाइसेंस हासिल हैं। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में एक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 09, असम में 51, बिहार में 05, छत्तीसगढ़ में 111, दिल्ली में 14, गोवा में 04, गुजरात में 04, हरियाणा में 18, हिमाचल प्रदेश में 82, जम्मू-कश्मीर में 23, झारखंड में 11, कर्नाटक में 30, केरल में 50, लक्षद्वीप में 65, मणिपुर में 04 और मेघालय में एक बूचड़खाना रजिस्टर्ड है। ओडिशा में 05, पुडुचेरी में 02, पंजाब में 112, राजस्थान में 84, उत्तराखंड में 22 और पश्चिम बंगाल में 05 बूचड़खाने रजिस्टर्ड हैं।

मेवात से गुड़गांव, पलवल के रास्ते अलीगढ़ का भी है। बिहार में 500 गाय और 200 भैंस रोजाना कटती हैं। पश्चिम बंगाल के बूचड़खानों में आसपास के राज्यों से तस्करी कर गौवंश लाए जाते हैं। बिहार, झारखंड, बिहार-नेपाल, बिहार-बंगाल की सीमाओं पर हर साल लगभग 10 हजार पशु पकड़े जाते हैं। बांग्लादेश सीमा पर हर वर्ष 20 हजार पशुओं की तस्करी होती है। हरियाणा के मेवात और दिल्ली के जाफराबाद, मुस्तफाबाद गौहत्या के लिए बदनाम हैं। यहां के थ्री व्हीलर गैंग गायों की हत्या कर रात में गौमांस होटलों तक पहुंचा देते हैं। बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश में 1.20 लाख गाय तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गईं हैं। जयपुर और आसपास के इलाकों में भी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पशु तस्करी के 761

प्रकरण सामने आए। पंजाब में गौहत्या-तस्करी के 312 मामले सामने आए। जालंधर के आसपास के इलाकों में रोजाना 50 गायों की हत्या होती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में गौ हत्या प्रतिबंधित है। तेलंगाना के मेडक के अल्लाना में प्रतिवर्ष 02 लाख से ज्यादा पशु काटे जाते हैं। वहीं अल-कबीर में 01 लाख से ज्यादा पशुओं की हत्या की जाती है। कर्नाटक में 3100 अवैध स्लॉटर हाउस हैं। एक स्लॉटर हाउस से रोजाना 07 से 8.25 टन वेस्ट निकलता है। केरल में गौहत्या पर प्रतिबंध

मध्यप्रदेश के संदर्भ में स्लॉटर हाउस...

स्लॉटर हाउस से मध्यप्रदेश में उबाल, सवालों के घेरे में सत्ता-संगठन

मध्यप्रदेश में वर्ष 2004 से गौवध पर प्रतिबंध है। सरकार दावा करती है कि राज्य में देश के सबसे सख्त गौ-संरक्षण कानून लागू हैं। 202425 को औपचारिक रूप से गौ-संरक्षण वर्ष घोषित किया गया लेकिन इसी दौर में, एक भयावह विरोधाभास सामने आया भोपाल में सरकार स्वीकृत

नहीं है।

भारत में वैध बूचड़खानों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि आंकड़े अलग-अलग स्रोतों से भिन्न हैं, लेकिन 2017 की एक RTI के अनुसार केवल 1,707 बूचड़खाने ही वैध थे, जबकि

बूचड़खाने के भीतर कथित तौर पर 260 से अधिक गायों का कत्ल और पूरा प्रशासन यह कहता रहा कि उसे कुछ पता ही नहीं था। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी हाल में हुई इस शर्मनाक घटना ने भाजपा के धार्मिक नैरेटिव वाली राजनीति को बदल कर रख दिया है। अब जो तस्वीर उभर रही है, वह किसी चूक की नहीं, बल्कि नगर निगम की मंजूरियों, पुलिस की खामोशी, डॉक्टरों की संदिग्ध रिपोर्टिंग और केस को जल्दी-जल्दी निपटाने की जल्दबाज़ी से ढकी एक संगठित व्यवस्था की है। सत्ता, विपक्ष, हिन्दूवादी संगठन और यहां तक की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सवाल उठाये हैं। दरअसल भोपाल की महापौर मालती राय ने अक्टूबर 2025 में असलम चमड़े नाम के कसाई की कंपनी को सारे नियम ताक पर रखवाकर अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की चाबी दे दी। गौर करने वाली बात यह है कि मालती राय की पूरी राजनीति उनके राजनीतिक आका मंत्री विश्वास सारंग के आसपास घूमती है। जहां मोदी-शाह समेत पूरी बीजेपी देश में जी राम जी को लेकर मुद्दा बना रही है ठीक उसी समय भोपाल राजधानी में एक गौ तस्कर ने भोपाल महापौर में संरक्षण में 250 गायें कटवा दी। यह मामला तो पकड़ में आ गया पता नहीं कितनी हजारों गायों का वध अभी तक इन लोगों ने करवा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि विश्वास सारंग और उनके खास लोगों के नाम भोपाल के असामाजिक तत्व चाहे सट्टा किंग मस्तान, क्रिमिनल जुबेर, ड्रग्स एवं क्रिमिनल मछली परिवार या गौ तस्कर असलम चमड़ा के साथ क्यों जुड़ते हैं और वो उनके रहनुमा निकलते हैं। सबसे बेशर्मी की बात है कि बीजेपी जो इन सब मुद्दे पर राजनीति करती है वो अपने मंत्री विश्वास सारंग और मालती राय के कुकर्मो

अनुमानित संख्या बहुत अधिक है, जिसमें 72 बड़े निर्यात-उन्मुख प्लांट और हजारों अवैध बूचड़खाने शामिल हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ वैध और अवैध की संख्या में बड़ा अंतर है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 1,707

पर चुप क्यों है। आधुनिक स्लॉटर हाउस में कथित रूप से प्रतिबंधित पशुओं के मांस कटने के मामले ने सत्ता, संगठन और प्रशासन तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क से लेकर मंत्रालय और नगर निगम परिषद के दफ्तरों तक अफ़रा-तफ़री का माहौल है।

गौ-हत्या आस्था, कानून और संवेदनशीलता का सवाल

स्लॉटर हाउस से जुड़ा कथित गौ-हत्या का मामला केवल एक प्रशासनिक या कानूनी विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक संवेदनाओं से सीधे तौर पर जुड़ गया है। गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है और मध्यप्रदेश में गौ-संरक्षण से जुड़े कानून भी बेहद सख्त हैं। ऐसे में स्लॉटर हाउस परिसर में प्रतिबंधित पशु के मांस से जुड़े आरोपों ने जनभावनाओं को आहत किया है। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यदि आरोप सही हैं, तो यह न केवल कानून की अनदेखी है, बल्कि निगरानी तंत्र की विफलता भी दर्शाता है। वहीं, यह भी आवश्यक है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच पूरी हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष को अनावश्यक रूप से कटघरे में न खड़ा किया जाए। इस प्रकरण ने एक बार फिर यह रेखांकित किया है कि आस्था से जुड़े मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा

स्लॉटर हाउस संचालक पर उठे सवालः आधुनिक स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें प्रभावशाली संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते नियमों की अनदेखी संभव हो सकी।

सवालों के घेरे में मंत्री, जवाबदेही से दूरी क्यों?

मध्यप्रदेश की राजनीति में मंत्री विश्वास सारंग का नाम एक बार फिर विपक्ष के तीखे निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में चल रहे कथित अनियमित तंत्र पर मंत्री की चुप्पी संदेह को और गहरा करती है। जब प्रदेश में आस्था, कानून और प्रशासन से जुड़े संवेदनशील मामले सामने आते हैं, तब जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्तिसे सबसे पहले स्पष्टता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, न कि बचाव की राजनीति। विपक्ष का कहना है कि जिन मामलों में नैतिकता और कानून की सीधी परीक्षा होती है, वहां मंत्री का रुख अस्पष्ट रहा है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच की गति और दिशा प्रभावित हो रही है। यदि सब कुछ नियमों के तहत है, तो स्वतंत्र और समयबद्ध जांच से डर कैसा?

बूचड़खाने पंजीकृत थे, जिनमें से 08 राज्यों में एक भी नहीं था। 2017 के आंकड़ों के अनुसार, उप्र में 185 बूचड़खानों में से केवल 45 लाइसेंसशुदा थे और 140 अवैध थे, हालांकि रिपोर्टों में 30,000 तक अवैध बूचड़खानों का अनुमान है।

26.5 टन मांस: आंकड़े जो झूठ बेनकाब करते हैं

17 दिसंबर 2025 को भोपाल में पुलिस मुख्यालय के पास 26.5 टन मांस से भरा कंटेनर पकड़ा गया। यही मात्रा सबसे पहला अलार्म थी। नियमों के मुताबिक, बूचड़खाने को सिर्फ 85 भैंसों के वध की अनुमति थी। अधिकतम उत्पादन मानें तो 12.75 टन से ज़्यादा मांस संभव ही नहीं था। जब्त खेप इससे दोगुनी से भी ज्यादा थी। इसके बाद 07 जनवरी 2026 को मथुरा लैब से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि कर ये गोमांस था। तब तक, नुकसान हो चुका था। जबकि नगर निगम के डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसे भैंस का मांस बताकर निर्यात की मंजूरी दी थी।

FIR चुपचाप, गिरफ्तारी बिना पूछताछ

जहांगीराबाद थाने में FIR बेहद खामोशी से दर्ज की गई। बूचड़खाना संचालक असलम कुरैशी (उर्फ़असलम चमड़ा) और ड्राइवर शोएब को सीधे जेल भेज दिया गया। न रिमांड, न कस्टोडियल पूछताछ, न सार्वजनिक जानकारी। हिन्दू संगठन के जिन लोगों ने कंटेनर रोका और शोर मचाया उन्हें तक यह नहीं बताया गया कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस और निगम ने कानूनी दांवपेंच का इस्तेमाल कर ट्रक छोड़ दिया। दूसरी तरफसैंपल मथुरा भेजे गए और 20 दिनों तक कुछ नहीं बताया गया। बाद में पता चला कि एफआईआर हो चुकी है और मांस बीफनिकला। तब तक कंटेनर मुंबई होकर विदेश जा चुका था, मांस खप गया, मुनाफ़ा हो गया। सीधा सवाल है, क्या सिर्फ़असलम चमड़ा और ड्राइवर दोषी हैं? सभी अफ़सरों पर कार्रवाई होगी? NSA लगेगा? कमाई की रकम गायों के कल्याण में वसूली जाएगी?

कौन हैं असलम कुरैशी

26 टन बीफकरीब 260 गायों के बराबर की बरामदगी ने असलम कुरैशी को केंद्र में ला दिया है। भोपाल में उसका मांस साम्राज्य है। उसके पास बूचड़खाने संचालन के ठेके, शहर भर में मृत पशुओं के शवों का निपटान, अवशेषों से पोल्ट्री फ़ीड निर्माण, वन विहार में मांस आपूर्ति जैसे

अवैध बूचड़खानों की समस्या: देश में बड़े पैमाने पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, जो स्वच्छता और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हैं। भारत में स्लाटर हाउस में गायों की हत्या एक संवेदनशील और

काम है। जाँच एजेंसियों का आरोप है कि आवारा पशुओं (अधिकांश गाय) के शव वैज्ञानिक निपटान के बजाय डाइवर्ट किए गए। असलम की जड़ें कानपुर से जुड़ी हैं। दादा हाफिज़ कुरैशी, फिर पिता शफीक। 1990 के दशक के अंत में जब कमान असलम के हाथ आई, तो व्यापार कथित तौर पर बहु-स्तरीय, प्रभावशाली नेटवर्क में बदल गया। बताया जाता है कि उसने नगर निगम और वन विभाग के संवेदनशील ठेके साधे खासकर वन विहार के लिए मांस आपूर्ति का ठेका, पूरे भोपाल में मृत पशुओं के शवों को इकठ्ठा करने का ठेका। आरोप है कि वैज्ञानिक निपटान की जगह समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हुई मांस की प्रोसेसिंग-बिक्री और कचरा रेंडरिंग प्लांट में जाकर पशु चारे में बदला गया। आज असलम के पास 35 से अधिक संपत्तियाँ हैं, जिसमें बड़े बंगलों से लेकर महंगी गाड़ियां शामिल हैं। भोपाल के आदमपुर छावनी क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों के निष्पादन के लिए 05 करोड़ रूपये की सरकारी लागत से बना रेंडरिंग प्लांट भी इसी असलम चमड़ा के पास है।

सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ने ही उठाए सवाल

वहीं विपक्ष की नेता शबिस्ता ज़की ने तीखे सवाल उठाए जब परिषद ने प्रस्ताव खारिज किया, तो मेयर-इन-काउंसिल ने कैसे पास कर दिया? तीसरी बार स्टे किसने हटवाया जब फाइल दो बार लौट चुकी थी और पार्षदों को बताया तक नहीं गया? नैतिक आधार पर इस्तीफ़ेहोने चाहिए। भाजपा पार्षदों ने भी मेयर की भूमिका की जांच मांगी। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी बोले, मामला हिंदू संगठनों ने उजागर किया, अफसर चुप रहे। टेंडर में कंपनी को अनुचित लाभ मिला। चपरासी से कमिश्नर तक उच्च स्तरीय जांच हो। भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने देंगे। भोपाल सांसद व पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने कहा, यह पुलिस और नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत बिना संभव नहीं। स्लॉटर हाउस को लेकर

कानूनी रूप से जटिल मुद्दा है, क्योंकि कई राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में यह कानूनी है, जिससे डेयरी और मांस उद्योगों में क्रूरता और हिंसा की खबरें आती रहती हैं, जो अक्सर धार्मिक भावनाओं और कानून प्रवर्तन से जुड़े

बहस भी हो गई थी और NGT भी नाराज हुआ था। जब प्रशासक का कार्यकाल था, उस समय ये स्लॉटर हाउस खोले गए थे।

जीतू पटवारी का मुख्यमंत्री पर तीखा हमला

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा मुख्यमंत्री हर मंच पर कहते रहे कि गौ-वध और बीफ व्यापार बंद है। अब खुद भाजपा नियंत्रित नगर निगम के बूचड़खाने में घरेलू-अंतरराष्ट्रीय बीफ व्यापार पकड़ा गया। उन्होंने कहा, पहले बीफ टैक्स-फ्री, अब राजधानी में व्यापार फल-फूल रहा है। रील्स में गायों को खिलाते मुख्यमंत्री और ज़मीन पर कत्ल उनकी सरकार के संरक्षण में। प्रतिबंधित शहर में 260 गायें कत्लखाने में आई कहाँ से? CCTV फुटेज तुरंत क्यों नहीं ज़ब्त हुई? मुख्य आरोपी बिना पूछताछ जेल कैसे गया? DNA टेस्ट से परहेज़ क्यों?

सुनियोजित, संगठित और संरक्षित अपराध!

यह पूरा मामला किसी एक अधिकारी या एक विभाग की लापरवाही का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, संगठित और संरक्षित अपराध की ओर इशारा करता है जिसमें कई सरकारी विभागों की भूमिका संदेह के घेरे में है। सूत्रों के अनुसार, जिस ज़मीन पर यह स्लॉटर हाउस संचालित किया जा रहा था, उसकी बाज़ार कीमत करीब 100 करोड़ रूपये है, लेकिन उसे सिर्फ 20 लाख रूपये सालाना किराये पर 20 वर्षों के लिए एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया। विपक्ष का कहना है यह ज़मीन और यह सुविधा नगर निगम की मेहरबानी के बिना संभव नहीं थी। नगर निगम ने इस स्लॉटर हाउस के संचालन की जिम्मेदारी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा की कंपनी लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर को सौंपी।

जिंसी स्लॉटर हाउस प्रोजेक्ट का भी पेंच

इसी पूरे प्रकरण को और भी गंभीर बनाता है जिंसी स्लॉटर हाउस प्रोजेक्ट का लंबा, उलझा और संदिग्ध प्रशासनिक इतिहास, जो बताता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि सालों की कानूनी खींचतान, आदेशों की अनदेखी और फाइलों के खेल के बीच पनपता रहा। वर्ष 2014 में जिंसी स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर याचिका दाखिल होती है, 2016 में NGT पुराने बूचड़खाने को अस्थायी अनुमति देता है, फिर 2019 में वही NGT रूपये 50 लाख का जुर्माना लगाकर संचालन तत्काल बंद करने का आदेश देता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, समितियाँ बनती हैं, ज़मीनें चिन्हित होती हैं, जनविरोध के कारण योजनाएँ अटकती हैं, कभी आदमपुर छावनी, कभी झिरनिया गांव हर जगह अड़चन आती है। इसी दौरान स्लॉटर हाउस को आधुनिक बनाने और वहीं लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव लाया जाता है। 202122 में RFP निकलता है, टेंडर रद्द होते हैं, फिर दोबारा टेंडर होता है और काम M/s Livestock Co. को दे दिया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति मिलती है, निर्माण शुरूहोता है, हाईकोर्ट स्टे लगाता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे पर स्टे देता है, याचिकाएँ वापस ली जाती हैं और आखिरकार 2025 में Consent to Operate मिल जाता है। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट, जो एक दशक से अधिक समय तक NGT, हाईकोर्ट,

विवादों को जन्म देती। भारतीय गोमांस उद्योग रातोंरात विकसित नहीं हुआ। निर्यात 1960 के दशक में शुरूहुआ और पिछले दशक में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज, भारत 65 देशों को गोमांस निर्यात करता है, जहाँ इसका गोमांस विश्व भर के गोमांस के

सुप्रीम कोर्ट, मंत्रालय, नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड और एमआईसी के बीच घूमता रहा वही प्रोजेक्ट उस बिंदु पर पहुँचता है, जहाँ 260 गायों के कत्ल का आरोप सामने आता है। सवाल यह है कि इतने आदेशों, समितियों और सुनवाइयों के बीच निगरानी कहाँ गायब थी और किस स्तर पर आंखें जानबूझकर मूँदी गईं? सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि 260 गायें कैसे कटीं, बल्कि यह भी है कि किसके संरक्षण में कटीं और किसकी मंजूरी से यह सब चलता रहा। शून्य सहनशीलता का दावा करने वाले राज्य में, सत्ता के केंद्र के पास सैकड़ों गायों का कत्ल एक भयावह सच्चाई उजागर करता है। कानून चुपचाप नहीं हारा, उसे शायद देखने से रोका गया।

बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई शहरों में गौवंश के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक्शन लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और 70 मामले दर्ज किए गए, जबकि 124 आरोपियों पर कार्रवाई करने के साथ ही 527 पशुओं को मुक्तकराया गया है। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 70 मामले गौवंश के अवैध परिवहन के दर्ज किए गए। इसमें 124 आरोपियों पर कार्रवाई कर 38 वाहन जब्त किए गए और 527 पशु मुक्त कराए गए। सिवनी जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गौवंश का वध करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिवनी जिले में गौवंश का वध करने की साजिश महाराष्ट्र के नागपुर में रची गई थी। अवैध गौवंश से संबंधित कुल 575 मामले दर्ज किए हैं। इन प्रकरणों में 1,121 अपराधियों को गिरफ्तार कर 7,524 गौवंश की मुक्ति कराई जा चुकी है। इस कार्रवाई में अवैध रूप से परिवहन कर रहे 342 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। रतलाम जिले के जावरा में मंदिर में गौवंश के अवशेष फेंकने वाले चार आरोपियों के घर ढहाए जा चुके हैं। मुरैना के नूराबाद में गौवंश की हत्या करने के मामले में आरोपियों के दो मकान जमीदोज किए गए थे। मप्र के दक्षिण और पश्चिम के सीमावर्ती जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच आदि जिले गौवंश के अवैध परिवहन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।

गौ हत्या की कानूनी स्थिति

मध्य प्रदेश में गौ हत्या कानूनी तौर पर पूरी तरह प्रतिबंधित है (प्रवर्तन 2004 से) और शासन इसे सबसे कठोर कानूनों में से एक मानता है।

मुख्य गोहत्या-संबंधी घटनाएँ/आंकड़े

2023: गो हत्या/गौ तस्करी-रोध सम्बन्धी 575 से ज्यादा मामले दर्ज। 1,121 से अधिक आरोपी गिरफ्तार। 7,524 गौवंश को बचाया गया (ये आंकड़े विशेष अभियानों में आए)।

साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार भारतीय गोमांस की मांग विशेष रूप से अधिक है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ टन गोमांस का उत्पादन करता है। भारत का तेजी से बढ़ता

जनवरी-जून 2024: 550 से ज्यादा गोहत्या-बंद से सम्बद्ध मामले एक महीने में दर्ज किए गए और 7,000 से ज्यादा गायें बचाई गईं (एक महीने की अवधि)। सिवनी में 60 से ज्यादा गोवंश हत्या के प्रकरण दर्ज; 24 लोगों को गिरफ्तार।

ध्यान देने योग्य बातें

सरकार दावा करती है कि राज्य में कड़े नियम हैं और सैकड़ों मामलों में कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन समय-समय पर ग़ैर क़ानूनी वध के गंभीर मामले मीडिया में सामने आते हैं, जैसे भोपाल का 250-260 गायों का मामला।

बैतूल बना गो-तस्करी का सेफ कॉरिडोर!

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में गोवंश तस्करी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। महाराष्ट्र सीमा से सटे होने के कारण बैतूल गो-तस्करों का ट्रांजिट हब बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों गोवंश पकड़े जाते हैं, लेकिन कमजोर कानूनों के चलते आज तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई। गोवंश तस्करी और गोमांस बिक्री के लिए बने लचर कानून। इनकी वजह से गोवंश तस्कर और अवैध गोमांस बेचने वाले आसानी से रिहा हो जाते हैं। बैतूल के रास्ते महाराष्ट्र के अलग-अलग स्लॉटर हाउस भेजा जाता है। बैतूल के कई संगठनों ने पुलिस के साथ मिलकर 2500 से ज्यादा गोवंश तस्करों के चंगुल से छुड़ाए हैं। राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से गोवंश बैतूल के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोवंश बैतूल में पकड़े जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बाकी जगहों से तस्कर कैसे चकमा देकर निकल भागते हैं या फिर ये जानबूझकर दी गई छूट है। लोगों का कहना है कि गोवंश तस्करी और गोमांस बिक्री पर हंगामा मचाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब तक इन मामलों के लिए कड़े कानून नहीं बनाए जाते तब तक गोवंश तस्करी पर लगाम लगाना लगभग नामुमकिन सी बात है।

भोपाल में सामने आए बहुचर्चित गौ मांस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने सोमवार को भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले को विस्तार से रखते हुए इसे ना सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता बताया, बल्कि इसे जनता की आस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा करार दिया।

दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सपा करेगी संघर्ष

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने स्पष्ट कहा कि गौमाता कोई राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि देश और समाज की आस्था व सम्मान का प्रतीक हैं। उनकी हत्या या तस्करी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी लोग इस अपराध में शामिल हैं, उन्हें कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। डॉ. यादव ने कहा कि यह मामला अब सिर्फमांस तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें एक बड़े संगठित नेटवर्क और प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका साफदिखाई दे रही है। उन्होंने जिंसी स्लॉटर हाउस का जिक्रकरते हुए कहा कि यह सीधे भोपाल नगर निगम के अधीन आता है और इसका नियंत्रण मेयर-इन-काउंसिल के पास होता है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस का बाहर निकलना यह दर्शाता है कि या तो घोर लापरवाही हुई है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई हैं।

गोमांस उद्योग एक राजनीतिक मुद्दा है, खासकर चुनावों के दौरान जब देश सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर बंटा होता है। मुसलमान और हिंदू, वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी, गोमांस खाने वाले हिंदू बनाम गोमांस न खाने वाले

हिंदू। राजनेता इस मुद्दे पर अपना रूख अपनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अपना रुख अपनाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ा, तो उनके चुनावी वादों में से एक था सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की गुलाबी क्रांति की आलोचना करना। यह क्रांति भारत में बढ़ते गोमांस निर्यात का उपनाम है। मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को लुभाने के लिए गोमांस व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

राज्य	पंजीकृत बूचड़खाने
तमिलनाडु	425
मध्य प्रदेश	262
महाराष्ट्र	249
पंजाब	112
छत्तीसगढ़	111
राजस्थान	84
हिमाचल प्रदेश	82
लक्षद्वीप	65
उत्तर प्रदेश	58
असम	51
केरल	50
कर्नाटक	30
जम्मू कश्मीर	23
उत्तराखंड	22
हरियाणा	18
दिल्ली	14
झारखंड	11
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	09
बिहार	05
ओडिशा	05
पश्चिम बंगाल	05
गोवा	04
गुजरात	04
मणिपुर	04
पुडुचेरी	02
आंध्र प्रदेश	01
मेघालय	01

था। मोदी ने इस उद्योग पर अंकुश लगाने का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया है।

भारत के गोमांस उद्योग पर लगाम लगाना जितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। गायों की हत्या से संबंधित एक व्यापक और एक समान कानून का अभाव लोगों को मनचाहे तरीके से गायों को मारने का अवसर देता है। अनुमान है कि हर साल लगभग 20 लाख गायों की तस्करी भारत से बांग्लादेश की 2,400 मील लंबी सीमा से होती है, जहां गश्त बहुत कम होती है। भारत की सीमाओं के भीतर, लोग गायों की तस्करी करके उन राज्यों में चले जाते हैं जहां गायों की हत्या के लिए न के बराबर या न के बराबर दंड हैं। भारत में लगभग 3,600 वैध बूचड़खाने और 30,000 अवैध बूचड़खाने हैं, जिनमें से कई में गायों की हत्या की जाती है। मोदी के सत्ता में आने के बाद से गोमांस के निर्यात में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाजपा द्वारा पूरे देश में एक समान गोमांस वध प्रतिबंध लगाने का प्रयास अपने आप में विरोधाभासी है। भाजपा दूध को गाय का एक पूजनीय उत्पाद बताकर दुग्ध उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करती है। 7.6 करोड़ गायों के साथ भारत अब विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो प्रति वर्ष 1.4 करोड़ टन दूध का उत्पादन करता है। दूध उत्पादन की आयु पार कर चुकी अधिकांश गायों को गौशालाओं में आराम से रहने के बजाय चमड़े और गोमांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गौशालाएं गायों के लिए एक तरह का सेवानिवृत्ति गृह होती हैं।

महाराष्ट्र 316 बूचड़खानों की संख्या के आधार पर पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उड़ीसा दसवें नंबर पर है। देश के विभिन्न राज्यों में कुल बूचड़खानों की संख्या 1623 है। जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 258 है। देश के सात राज्य ऐसे हैं, जिनमें एक भी बूचड़खाना नहीं हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली शामिल हैं।

95 नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं 25 हजार अवैध बूचड़खाने

राजस्थान के संदर्भ में..

नियम सख्त, लेकिन गौहत्या रोकने में नाकाम

राजस्थान में गौ हत्या कानून मुख्य रूप से राजस्थान गोजातीय पशु (वध प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995' पर आधारित है, जिसमें धारा 3 गोजातीय पशु (गाय, बैल, बछड़ा, बछिया) के वध को प्रतिबंधित करती है, और इसके उल्लंघन पर सजा के प्रावधान (धारा 9 और अन्य) हैं, जिसमें कठोर कारावास (7 साल तक) और जुर्माना शामिल है, साथ ही परिवहन और मांस रखने पर भी प्रतिबंध है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2017 में गौशाला मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौ हत्या पर आजीवन कारावास की सजा का कानून बनाने का सुझाव दिया था। इतने तमात नियम कानून होने के बावजूद राज्य में गौहत्या को नहीं रोका जा रहा है। अवैध और वैध स्लॉटर हाउसों में गौमांस की तस्करी आम बात है।

एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (अपेडा) के मुताबिक, देश में चार हजार से ज्यादा स्लॉटर हाउस रजिस्टर्ड यानी विभिन्न सरकारी विभागों की परमिशन के बाद चल रहे हैं। वहीं देशभर में 25 हजार से अधिक बूचड़खाने बिना परमिशन के चल रहे हैं। अपेडा के मुताबिक बीफ और मांस एक्सपोर्ट करने के लिए प्लांट डाटा और अन्य डिटेल्स में 95 नियमों और मानकों को पूरा करना जरूरी है। वहीं, प्रिवेंशन ऑफ क्रू अल्टी टू एनीमल्स (स्लॉटर हाउस) रूल्स, 2001 के मुताबिक भी 50 से ज्यादा नियमों का पालन करना बूचड़खानों के लिए जरूरी है। इसके अलावा राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के भी अलग-अलग स्टेंडर्ड हैं। लोकल बॉडी से लेकर केंद्र सरकार तक करीब एक दर्जन विभागों से स्लॉटर हाउस खोलने के लिए परमिशन लेनी होती है। अवैध बूचड़खाने नियमों को ताक पर रख काम कर रहे हैं।

> **लोकल बॉडी से लेकर केंद्र सरकार तक करीब एक दर्जन विभागों से स्लॉटर हाउस खोलने के लिए परमिशन लेनी होती है। अवैध बूचड़खाने नियमों को ताक पर रख काम कर रहे हैं।**

महाराष्ट्र के संदर्भ में..

सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस महाराष्ट्र में

लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार गौवंश हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में कामयाब हुई। राज्य में गौ हत्या 1976 से प्रतिबंधित है, अब बैल-बछड़े की हत्या भी गैर कानूनी है। महाराष्ट्र में कई स्लॉटर हाउस हैं, जिनमें मुंबई का डीओनर स्लॉटर हाउस सबसे प्रमुख और एशिया के सबसे बड़े बूचड़खानों में से एक है, जो मांस प्रसंस्करण और जानवरों की उपलब्धता के लिए जाना जाता है, हालांकि कई स्थानीय स्लॉटर हाउस भी मौजूद हैं, जैसे कि भिवंडी में, लेकिन राज्य में गायों के वध पर प्रतिबंध है और इनका संचालन नियमों के तहत होता है।

डीओनर स्लॉटर हाउस, मुंबई: यह मुंबई का एक बड़ा और ऐतिहासिक बूचड़खाना है, जहां से बकरे, बैल और अन्य मवेशी उपलब्ध कराए जाते थे और यह एशिया के बड़े बूचड़खानों में से एक रहा है।

भिवंडी के स्लॉटर हाउस: भिवंडी निज़ामपुर नगर निगम के तहत कई स्लॉटर हाउस हैं, जैसे इडगाह रोड, तीन बत्ती और पद्मा नगर में, जो स्थानीय मांस बाजार के लिए काम करते हैं।

नियम और कानून: महाराष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध है, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, हालांकि गोमांस का सेवन और कब्ज़ा करना वैध है। बूचड़खानों का संचालन स्थानीय निकायों (नगर निगम/ग्राम पंचायत) द्वारा निर्धारित नियमों और लाइसेंस के तहत किया जाता है।

प्रदेश और केंद्र सरकार के करीब एक दर्जन विभागों से स्लॉटर हाउस की परमिशन लेना और उनके नियमों का पालन करना होता है। अवैध तो छोड़िए, देश में जो वैध स्लॉटर हाउस हैं उनमें से चुनिंदा ही हैं जो इन पैमानों पर खरा उतर सकते हैं। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया था। भारत से 40 से अधिक देशों को बीफ का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत की है। इसके बाद महाराष्ट्र नंबर है।

देश में चल रहे डेढ़ हजार से भी ज्यादा बूचड़खानों में से अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में ही चल रहे हैं। भारत मांस निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है

बीफ को भारतीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए आरटीआई के जरिए हुआ एक खुलासा असहज स्थिति पैदा कर सकता है। पता चला है कि देश में चल रहे डेढ़ हजार से भी ज्यादा बूचड़खानों में से अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में ही चल रहे हैं। भारत मांस निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा

बिहार के संदर्भ में..

सख्ती के बाद भी बढ़ रहे बूचड़खाने

बिहार में स्लॉटर हाउस (कसाईखाने) की स्थिति और नियम सख्त हैं, जिसमें अवैध बूचड़खानों पर रोक और आधुनिक, स्वच्छ सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, जिससे बड़े शहरों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर में व्यवस्थित बूचड़खाने स्थापित करने की मांग बढ़ी है, हालांकि इनकी उपलब्धता और क्रियान्वयन में चुनौतियां हैं और कई जगह छोटे स्तर पर अभी भी अनियमित रूप से काम चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और आधुनिक स्लॉटर हाउस बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर बिहार पर भी है। कई इलाकों में अभी भी नियमों का पालन नहीं किया जाता और खुले में पशुओं का वध होता है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं।

देश बन गया है जबकि अपनी चुनावी कैंपेन में गुलाबी क्रांति को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मनमोहन सरकार को घेरते नजर आते थे। दिलचस्प बात यह है कि मांसाहार को लेकर नार्थ ईस्ट की ओर सबसे ज्यादा उंगलियां उठती हैं जबकि वहां सबसे कम स्लाटर हाउस हैं। जानकार इसे लेकर पार्टी और सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और इसे कथनी-करनी का अंतर करार देते हैं। मांसाहार को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताने वाली भाजपा के शासन वाले राज्यों में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं। देश भर में कुल 1623 स्लॉटर हाउस बताए गए हैं जिनमें से 675 तो भाजपा के शासन वाले राज्यों में हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 316 कसाईखाने हैं। 285 इकाइयों के साथ यूपी दूसरे नंबर पर है लेकिन ऐसे टॉप टेन राज्यों में भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात में भी 38 इकाइयों में पशुओं का मांस निकालने का काम किया जाता है। पशु प्रेमी बताने वाली पार्टी के शासन वाले राज्यों में सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस की संख्या हैरान

उत्तरप्रदेश के संदर्भ में..

अवैध बूचड़खानों में प्रदेश अव्वल

उत्तरप्रदेश में 185 बूचड़खाने हैं। जिनमें से सिर्फ 45 को लाइसेंस दिया गया है। जबकि 140 बूचड़खाने बिना अनुमति के चल रहे हैं। इससे अलग पूरे यूपी में 400 से ज्यादा बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं। जिसमें से 07 अलीगढ में तो 05 गाजियाबाद में हैं। जबकि मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर में भी बूचडखाने हैं। 2015-16 में यूपी से तकरीबन 5,65,958.20 मीट्रिक टन भैंस का मीट एक्सपोर्ट किया गया था। जिससे 11 हजार 350 करोड़ रूपए का सीधा फायदा हुआ था। जो निजी बूचड़खाना चलाते हैं और बीफ का निर्यात विदेशों में करते हैं वह तो आधुनिक मशीनों और मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम से जो बूचड़खाने अलग-अलग चल रहे हैं वहां मानकों का पालन नहीं हो रहा है। 2024 तक उत्तर प्रदेश में वैध बूचड़खानों की सटीक संख्या उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग बताई गई है, लेकिन यह लगभग 38 से 45 के बीच बताई गई है, जिनमें से कुछ सरकारी और कुछ निजी हैं, और कई अवैध बूचड़खाने भी सक्रिय हैं, हालांकि सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है, इसलिए यह संख्या बदल सकती है। शासन की सख्ती एवं पुलिस महकमें की कार्रवाई भी गोरखधंधे पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐस में जिले में अवैध स्लाटर हाउस का संचालन गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। अवैध धंधे पर प्रभावी रुप से पाबंदी नहीं लग पा रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में अवैध स्लाटर हाउस पर नकेल कसी थी। जिसके तहत बगैर लाइसेंस वाले स्लाटर हाउस को सील करने का आदेश जारी किया गया था। मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर समेत 08 शहरों में 26 स्लॉटर हाउस बंद कराये गए, जबकि लाइसेंस वाले 44 स्लाटर हाउस चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र में राज्य के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का वादा किया था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उत्तरप्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हुए हैं। आये दिन समाचार आते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही कर लोगों को गिरफ्तार किया।

करती है। टॉप टेन राज्यों में चार भाजपा के ही हैं। दरअसल, सत्ता में बैठे लोगों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। हिंदुत्व के एजेंडे पर तो भाजपा सत्ता में आती है, कुर्सी मिलने के बाद बिजनेस हित देखती है इसीलिए वह कसाईखानों को बंद करने में

नाकाम रही है। यह तो और ताज्जुब की बात है कि उनके शासन वाले राज्यों में स्लॉटर हाउस ज्यादा हैं जिनके संगठनों ने पशु वध को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। भाजपा शासित राज्यों में गोहत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसी प्रकार देश से गाय व बछड़े के मांस के निर्यात पर रोक है। हालात यह हैं कि भारत में बीफयानी गौवंश और भैंस के मीट की खपत में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2011 में बीफ की खपत 20.4 लाख टन थी, जो बढ़कर 22.5 लाख टन हो गई है। इसके विपरीत पशुगणना के अनुसार देश में गौवंश की संख्या में 2007 के मुकाबले 2012 में 4.1 प्रतिशत की कमी आई। इसमें भी देशी गौवंश की संख्या में करीब 9 प्रतिशत की कमी आई है। भारत ने पिछले वर्ष 19.5 लाख टन बीफका निर्यात किया। भारत बीफ निर्यात में विश्व में नंबर 02 पर है।

भारत में कुल 72 बूचड़खाने हैं जिसे लाइसेंस प्राप्त हैं जिसमें से अकेले यूपी में 38 बूचड़खाने हैं। इसमें 4 बूचड़खाने ऐसे भी हैं जिसे सरकार खुद चलाती है, जो कि आगरा, सहारनपुर में है वहीं दो अन्य प्रस्तावित बूचड़खाने लखनउ और बरेली में है अलीगढ़ में हिंद एग्रो आईएमपीपी पहला बूचड़खाना है जिसे 1996 में शुरु किया गया था। यहां यह समझने वाली बात यह है कि खाड़ी के देशों में भैंस के मांस की काफी मांग है और भारत इसके लिए सबसे कारगर देश है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहां सस्ता मांस मिलता है और विक्रेता को इस बात का भरोसा मिलता है कि उसे हलाल मांस ही दिया जा रहा है। भारत कुल मीट निर्यात में तीसरा और बफैलो मीट निर्यात में दुनिया में पहला स्थान रखता है। भारत 70 से ज्यादा देशों को फ्रोजन और फ्रेश चिल्ड मीट का एक्सपोर्ट करता है। इसमें करीब 97 फीसदी हिस्सा फ्रोजेन बफैलो मीट का होता है। बफैलो मीट के लिए भारत के प्रमुख ग्राहक देश वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इराक, सउदी अरब, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया और रूस हैं। देश में करीब 11 अत्याधुनिक मीट प्लांट हैं जहां फ्रोजेन बफैलो मीट का उत्पादन किया जाता

गौ हत्या : निषेध करें सरकार, यह आस्था पर प्रहार

गाय को वेदों और पुराणों में मां का दर्जा दिया गया है। सनातन संस्कृति में गाय का उत्तम स्थान बताया गया है। गौ सेवा को व्यक्ति का धर्म माना गया है। सनातन गाय को माता का स्थान देता है और इसकी सेवा को कल्याणकारी बताता हैं। सनातन संस्कृति में गाय को उत्तम स्थान है। सनातन और हिन्दू धर्म गाय को धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष देने वाली देवी के रुप में स्थान देते हुए गौ सेवा को महत्वपूर्ण स्थान देता है। गाय को सनातन संस्कृति में पवित्र पशु माना जाता है। गाय के प्रत्येक अंग पर किसी न किसी हिन्दू देवी-देवता का वास माना जाता है, इस कारण गाय के प्रत्येक अंग का महत्व है। सनातन संस्कृति गायों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इनसे सम्बन्धित कई धार्मिक व्रत और उपवास को स्थान देती हैं, जैसे गोपद्म व्रत, गोवत्स द्वादशी व्रत, गोवर्धन पूजा, गोत्रि-रात्र व्रत, गोपाष्टमी और पयोव्रत, बछ बारस इत्यादि। गाय से जुड़ी कई शास्त्रों और वेदों में कथाएं बतलाई गई है, जो हिंदू शास्त्रों में बताई गई हैं, वो सभी कथाएँ गाय के महत्व को दर्शाती है। भारत में गौ हत्या पहले संस्कृति के कारण निषेध थी, आजादी के बाद गौ हत्या को निषेध करने के लिए विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए गए। कई कानून गाय की हत्या को निषेध करार देते हैं। गौ हत्या वर्तमान समय में एक अपराध है। गाय की हत्या को रोका जाना वर्तमान में सरकार का दायित्व हैं। आजकल धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए गौ हत्या की जाती है, यह सबसे बुरा कारण है। इसके कारण कई बार साम्प्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी अशांत हो जाता है। इस तरह की हरकत कई बार लाइव वीडियो बनाकर की जाती है, जो सबसे घातक होती है। किसी विशेष संप्रदाय द्वारा सनातन के उपासकों को नाराज करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है।

है।

भोपाल का स्लॉटर हाउस कांड

संवेदनहीन सत्ता और जवाबदेही का सवाल

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो हलचल मची हुई है, उसका केंद्र बना है

गौ हत्या को रोकने के लिए कानून

गौ हत्या को रोकने के लिए भारत में कई प्रकार के कानून प्रचलन में है। हालांकि सभी राज्यों के अपने-अपने कानून है। इस कार्य को केंद्र ने राज्यों को सौंप रखा है अथवा यह राज्य सूची का विषय है, ऐसे में गौ हत्या को लेकर भारत सरकार का कोई एक कानून नहीं है और ना ही विभिन्न राज्यों के कानून में किसी प्रकार की समरूपता देखने को मिलती है। आजाद भारत में गौ हत्या को रोकने के लिए सबसे पहले पंजाब और उत्तरप्रदेश की राज्य सरकारों ने गौ हत्या निषेध अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किए। इस अधिनियम के तहत, गाय, बैल, सांड, बछिया, और बछड़े का वध करना कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा गया। हालांकि, कुछ अपवादों में गाय का वध कानूनन किए जाने के नियम भी इस कानून में रखे गए। इन अपवादों में शामिल हैं:- इसके बाद विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा गाय की हत्या को निषेध करने के लिए कानून पारित किए। विभिन्न राज्यों द्वारा गाय की हत्या करने वाले हत्यारों के लिए 06 महिने से 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रूपये तक का जुर्माना निश्चित किया। हालांकि भारत के केवल दस राज्यों में ही गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का कानून पारित कर रखा है। कई राज्यों में आंशिक कानून है तो कई ऐसे भी राज्य है जहां गौ हत्या को लेकर किसी प्रकार का कानून नहीं है। कई राज्यों में गौ हत्या से सम्बन्धित कानून नहीं होने का कारण वहाँ हिन्दू आबादी की कमी और अन्य आबादी की बहुलता का तर्क दिया जाता है जो हास्यास्पद प्रतीत होता है। जिन राज्यों में गौ हत्या पर आंशिक कानून बने हुए हैं या किसी प्रकार के कानून का अस्तित्व ही नहीं है। भारत सरकार का कोई एक कानून नहीं होने के कारण गौ हत्या हमेशा विवाद का एक विषय बना रहता है। साथ ही यह कानून राज्यों तक सीमित हो जाता है। कानून की इसी कमी के चलते कई बार गौ हत्या निषेध वाले राज्यों से अन्य राज्यों को गौ तस्करी की जाती है। गौ तस्करी के चलते कई बार विवाद होने के साथ ही सामाजिक सौहार्द्धपूर्ण वातावरण पर भी विपरित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे भारत में गौ पालन और गौ हत्या पर एक कानून बनाया जाए। एक ऐसा कानून पारित किया जाए जिससे पूरे देश में हो रही गौ हत्या पर रोक लगने के साथ ही गौ तस्करी के मामलों पर भी रोक लगे। जब तक पूरे भारत में कानून में समरूपता स्थापित नहीं होगी तब तक सनातन की आस्था पर यूँ ही प्रहार होता रहेगा। इसे रोकने के लिए कई राज्यों की सरकार कुछ मतों के लालच में कभी सामने नहीं आएगी और ना ही कोई कानून बना सकेगी। जब भारत सरकार द्वारा पूरे देश में समरूप कानून लागू कर दिया जाएगा तो गौ तस्करी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होने से समय-समय पर विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी और ना ही विभिन्न संप्रदाय के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार चाहे तो इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर पूरे देश में एक कानून को स्थापित कर सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और चार केंद्र शासित राज्यों दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह में गौ हत्या पर आंशिक प्रतिबंध लागू है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गो-हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

भारतीय गाय की तस्करी की रक्त रंजित दास्तान

भारत गाय और भैंस की बड़ी मंडी है इसलिये वहां से यदि मांस की पूर्ति नहीं होगी तो मांसाहारियों के लिये और पशु पर आधारित तैयार होने वाली वस्तुओं के उत्पादन करने में भी भारी कठिनाइयां पड़ सकती है। विदेशियों की दृष्टि में पशु धन कच्चा माल है लेकिन भारत में करोड़ों व्यक्तियों के लिये यह आस्था का सवाल है। इसके बावजूद प्रतिदिन मांसाहार के लिये सैकड़ों पशुओं की हत्या होती रहती है। मांसाहार के नाम पर भारत का पशुधन बड़ी बेदर्दी के साथ लोगों के पेट में चला जाता है अथवा डालर, दीनार और किसी न किसी मूल्यवान मुद्रा के लिये अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार के लिये कच्चा माल हो जाता है। भारत सरकार की इस निष्क्रियता के कारण बकरी ईद के अवसर पर भारत का 40 लाख पशु धन जिसमें गाय, भैंस और बकरे बकरियां तथा भेडे बांग्लादेशियों के हवाले कर दी गई। प्रतिदिन 81 हजार डालर के मूल्य का भारतीय पशुधन भारत से बांग्लादेश की सीमाओं में घुसा दिया जाता है। भारत सरकार को सब कुछ पता है लेकिन डालर की मार ने उनके प्रभावशाली लोगों को गूंगा, बहरा और अंधा बना दिया है। बांग्लादेश में कटने वाली हर दूसरी अथवा तीसरी गाय भारतीय होती है।

भोपाल का बहुचर्चित स्लॉटर हाउस कांड। यह मामला केवल एक प्रशासनिक अनियमितता या स्थानीय भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता

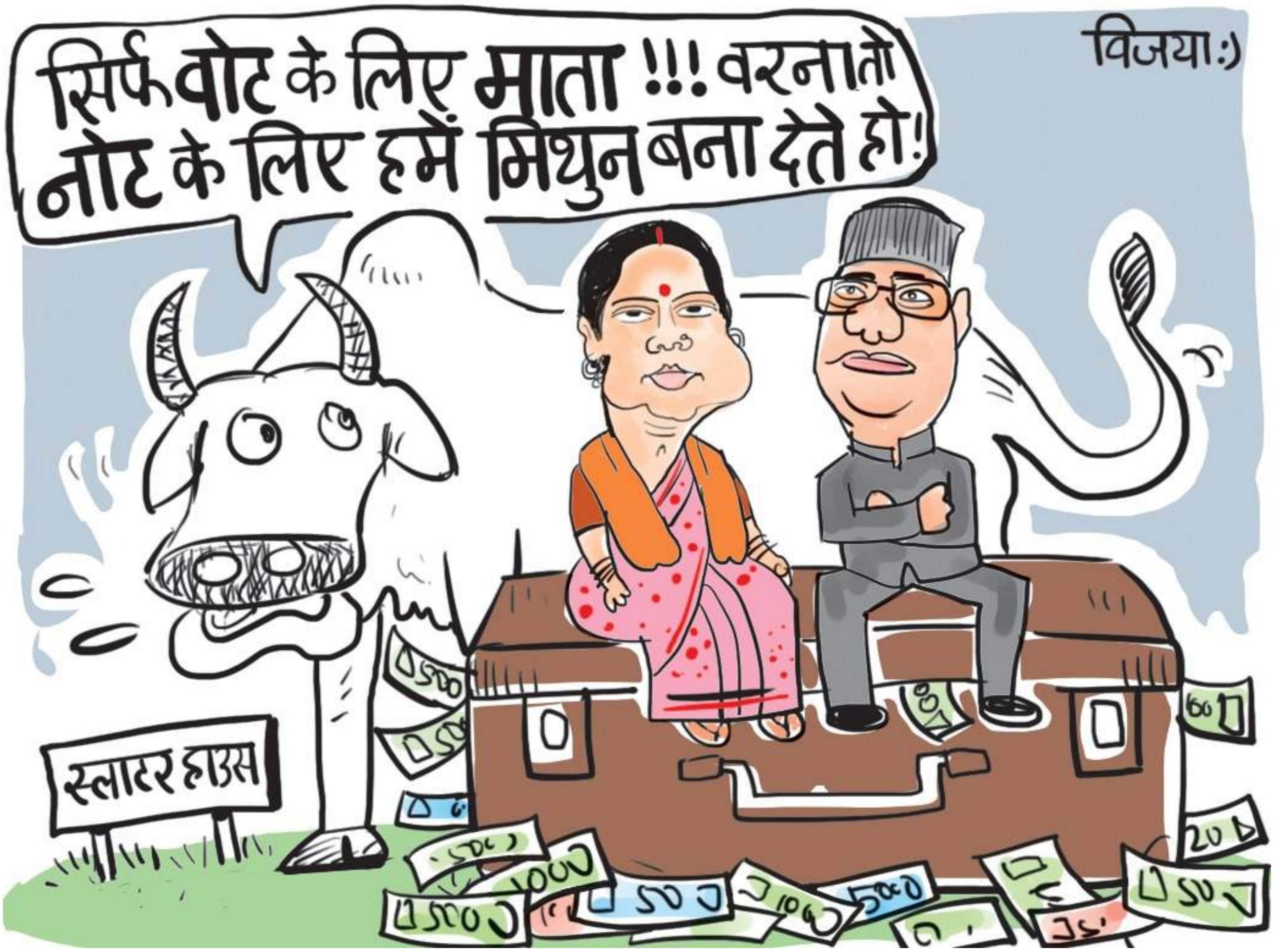

है। जिस प्रकार यह पूरा प्रकरण सामने आया और जिस तरह से इसमें राजनीतिक संरक्षण की परतें खुलती गईं, उसने आम जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है। भोपाल जैसे संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक शहर में स्लॉटर हाउस को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं, परंतु इस बार मामला कहीं अधिक गंभीर है। आरोप यह है कि नियमों की खुली अवहेलना करते हुए न केवल अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिला, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी आँखें मूँद ली गईं। सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब चलता रहा? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं

भोपाल जैसे संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक शहर में स्लॉटर हाउस को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं, परंतु इस बार मामला कहीं अधिक गंभीर है। आरोप यह है कि नियमों की खुली अवहेलना करते हुए न केवल अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिला, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी आँखें मूँद ली गईं।

थी, या फिर जानबूझकर मौन साधा गया? इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि जब मामला सार्वजनिक हुआ, तब भी सत्ता पक्ष की ओर से प्रारंभिक प्रतिक्रिया टालमटोल और बचाव की रही। यही रवैया राजनीतिक संकट को और गहरा करता है। लोकतंत्र में सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, न कि अपने पदों और सहयोगियों की ढाल बनने की। यदि कहीं भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई अनिवार्य है- चाहे वह कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। स्लॉटर हाउस केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं होता, उससे जुड़े

होते हैं पर्यावरणीय मानक, स्वच्छता, पशु संरक्षण कानून और स्थानीय सामाजिक संवेदनाएँ। यदि इन सबकी अनदेखी कर किसी भी प्रकार की गतिविधि चल रही थी, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भोपाल की जनता लंबे समय से इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग करती रही है, परंतु उनकी आवाज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस कांड ने सत्ता और स्थानीय निकायों के बीच की मिलीभगत को उजागर किया है। नगर निगम से लेकर विभागीय अधिकारियों तक की भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं। यदि सरकारी मशीनरी ही नियमों को दरकिनार कर दे, तो फिर आम नागरिक से कानून पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राजनीति का उद्देश्य जनसेवा और सुशासन होना चाहिए, लेकिन जब वही राजनीति संरक्षण और दबाव का माध्यम बन जाए, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इस मामले में भी यही दिखाई दे रहा है- जहाँ जिम्मेदारी तय करने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि दोषियों पर कब तक और कितनी सख्ती होगी? जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। जाँच की प्रक्रिया पारदर्शी हो, दोषियों के नाम सार्वजनिक हों और यदि राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जाए। यह केवल एक शहर का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में शासन की विश्वनीयता से जुड़ा विषय बन चुका है। भोपाल का स्लॉटर हाउस कांड सत्ता को यह स्पष्ट संदेश देता है कि प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति अब अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। यदि सरकार सचमुच सुशासन और नैतिक राजनीति का दावा करती है, तो उसे इस मामले में उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा यह कांड आने वाले समय में जनाक्रोश का बड़ा कारण बन सकता है।

10 करोड़ रूपये की जमीन 20 लाख रूपये के वार्षिक पट्टे पर। इस बूचड़खाने का पूरा संचालन नगर निगम की कृपा से चल रहा था। नगर निगम ने इस बूचड़खाने के संचालन की जिम्मेदारी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमदा की कंपनी लाइव स्टॉक

फूड प्रोसेसर को सौंपी थी। सूत्रों के अनुसार, लगभग 10 करोड़ रूपये की कीमती जमीन असलम को 20 साल के लिए मात्र 20 लाख रूपये के वार्षिक पट्टे पर दी गई थी। नगर परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का आरोप है कि महापौर मालती राय ने परिषद को अंधेरे में रखते हुए यह कार्य असलम को सौंप दिया। जब यह फाइल नगर आयुक्त संस्कृति जैन के पास पहुंची, तो उन्होंने भी 26 घंटे के भीतर इसे मंजूरी दे दी। असलम कसाईखाने के कारोबार का बादशाह बन गया। उसकी इसी कंपनी को शहर में मृत पशुओं के निपटान का ठेका भी मिला था। असलम ने कसाईखाने के अपशिष्ट और मृत पशुओं का उपयोग करके एक प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया। इससे मुर्गी पालन के लिए चारा बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू हुआ। इसी बीच, असलम के पास पहले से ही वन विहार में मांस आपूर्ति का ठेका था। अपने प्रभाव के कारण असलम कसाईखाने के कारोबार का बादशाह बन गया था। शहर के बीचोंबीच 260 से अधिक गायों को लाकर काटा गया, लेकिन पुलिस और उसकी खुफिया प्रणाली को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। यह एक बड़ी विफलता है। इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। 26.5 टन गोमांस के लिए जिन 260 से अधिक गायों का वध किया गया, उन्हें कहाँ से लाया गया था? क्या गायों का वध इसी बूचड़खाने में हुआ था? यदि हाँ, तो फोरेंसिक टीम ने वहाँ से सबूत क्यों नहीं जुटाए? पुलिस ने इस तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए मुख्य आरोपी असलम चमदा से पूछताछ क्यों नहीं की? बूचड़खाने के सीसीटीवी फुटेज में क्या है और इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? किसके इशारे पर रिपोर्ट आने से पहले ही 7 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का

दागी IPS अफसरों से प्रमोशन से छत्तीसगढ़ में मचा सियासी बवाल

विजया पाठक

हाल ही में छत्तीसगढ़ के 16 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। सूची में अलग-अलग बैच के कई अफसरों के नाम हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। इनमें एक अफसर को एडीजी, दो को आईजी और 08 अफसरों को डीआईजी के पद पर पदोन्नति मिली है। राज्य कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अफसर डॉ. आनंद छाबड़ा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। साल 2008 के दो आईपीएस अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रशांत कुमार अग्रवाल और

आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर खड़े हो रहे सवाल

जिन पर आपराधिक मामले दर्ज, उन्हें कैसे दे दिया प्रमोशन

भूपेश राज में किया भारी भ्रष्टाचार

मिलना कुर्रे शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 2008 बैच की आईपीएस अफसर नीथू कमल को पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। इसी तरह डी. श्रवण को भी समान तिथि से आईजी वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति मिली है। डॉ. आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव तीनों IPS अफसरों के खिलाफ अपराध क्रमांक 06/2024 महादेव सट्टा ऐप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 17(क) के अंतर्गत विवेचना स्तर पर लंबित हैं। रजनेश सिंह (भापुसे) के विरुद्ध ईओडब्ल्यू रायपुर

आनन्द छाबड़ा

अभिषेक पल्लव

में दर्ज अपराध क्रमांक 06/2019 व 07/2019 (फोन टैपिंग प्रकरण) में माननीय न्यायालय में दिनांक 04/07/2024 को अंतिम रिपोर्ट पेश किया गया है, जो न्यायालय में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में भी रजनेश सिंह (भापुसे) को समस्त प्रयोजन हेतु परिणामी लाभ दिया गया है। फिर भी चारों अफसरों को पदोन्नति दी गई। कुछ जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कथित दागी या विवादित (जैसे महादेव ऐप मामले) अफसरों को प्रमोशन मिलने का मुख्य अर्थ यह है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर लगे आरोप या तो सिद्ध नहीं हुए या वे आरोप मुक्त हो चुके हैं। यह राज्य सरकार की रूटीन कैडर प्रबंधन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पुलिस व प्रशासनिक कमांड स्ट्रक्चर को मजबूत करना और कार्यकुशलता बनाए रखना है। जिन अधिकारियों पर पिछली सरकार के समय मामले दर्ज हुए थे, उन्हें पदोन्नति देकर यह संदेश दिया गया है कि तकनीकी रूप से उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई ने पुलिस महकमे पर छापा मारा था। सट्टेबाजों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर माह लाखों रुपये लेने वाले चार आईपीएस, दो एडिशनल एसपी, दो इंस्पेक्टर समेत दो हवलदारों का नाम सामने आया था। राज्य वित्त आयोग के पूर्व सदस्य और अधिवक्ता नरेशचंद्र गुप्ता ने महादेव ऑनलाइन सट्टे को लेकर 18 फरवरी, 2025 को सीबीआई के डायरेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें पुलिस अफसरों की संलिप्तता का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। महादेव एप के प्रमोटर शुभम सोनी ने वर्ष 2023 में वीडियो जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संरक्षण राशि के रूप में 508 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया था।

महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई ने पुलिस महकमे पर छापा मारा था। सट्टेबाजों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर माह लाखों रूपये लेने वाले चार आईपीएस, दो एडिशनल एसपी, दो इंस्पेक्टर समेत दो हवलदारों का नाम सामने आया था।

एप के प्रमोटरों के संपर्क में थे आईपीएस

रजनेश सिंह

प्रशांत अग्रवाल

एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने ईडी की हिरासत में कबूल किया था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई से उसने 81 करोड़ से अधिक प्राप्त किए थे। इस रकम को आईपीएस समेत पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को वितरित किया। मई 2022 से पहले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सीधे तौर पर आईपीएस आनंद छाबडा, दुर्ग के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव, रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ और प्रशांत अग्रवाल के संपर्क में थे। दरअसल, उस समय उनके पास छोटे स्तर का व्यवसाय था और उन्हें उनसे सुरक्षा मिली हुई थी। जैसे-जैसे इनका क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ में फैलता गया, पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी की भागीदारी जरूरी हो गई। इसके बाद सभी अफसरों ने पद का दुरूपयोग करके उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया और बदले में उन्होंने उनसे लाखों की रिश्वत ली।

इन आईपीएस अधिकारियों को मिलती थी इतनी रकम

आनंद छाबड़ा (2001 बैच आईपीएस): मूलतः पंजाब निवासी। महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कवर्धा के एसपी रहे। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर आइजी और दो बार राज्य के इंटेलिजेंस चीफ रहे। आईपीएस आनंद छाबड़ा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में रायपुर आइजी थे और इन पर इंटेलिजेंस का भी जिम्मा था। छाबड़ा को 20 लाख रूपये हर महीने मिलते थे। यह पैसे एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी पहुंचाते थे।

> एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने ईडी की हिरासत में कबूल किया था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई से उसने 81 करोड़ से अधिक प्राप्त किए थे। इस रकम को आईपीएस समेत पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को वितरित किया।

अभिषेक पल्लव (2010 बैच आईपीएस): मूलतः बिहार निवासी। आईपीएस अभिषेक पल्लव का जीवन उनके काम के अंदाज की तरह ही अलग रहा है। उन्होंने पहले गोवा यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और बाद में एम्स दिल्ली से मनोचिकित्सा में एमडी की। इसके बाद साल 2012 में डाक्टरी की पढ़ाई छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा पास की। वे छत्तीसगढ़

एसपी ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, मचा सियासी बवाल

धर्मेन्द्र सिंह छवई

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उनके पत्रमें पुलिस महकमे में पदोन्नति को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र सामने आने के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह छवई ने सीएम को पत्र लिखकर अपने साथ हुए अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की पीड़ा व्यक्त की है। धर्मेंद्र सिंह ने लिखा है कि नियमों के बावजूद उन्हें जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह छवई वर्तमान में कवर्धा पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई पदोन्नति सूचियों 10 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 26 मई 2025 और 31 जुलाई 2025 में उनके नाम पर विचार किया गया, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए, छवई ने गृह मंत्रालय के 15 जनवरी, 1999 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पदोन्नति को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि कोई अधिकारी निलंबित न हो, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर न किया गया हो, या वह किसी आपराधिक मुकदमे का सामना न कर रहा हो। अधिकारी ने चयनात्मक न्याय का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जहां एक मामूली जांच के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई है, वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों सहित अधिक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अन्य अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। पत्र में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के अधिकार का जिक्रकरते हुए कहा गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मुद्दे ने पदोन्नति नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटनाक्रम ने पुलिस सेवाओं के भीतर पदोन्नति नीतियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से सतर्कता निगरानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन पर। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह मामला सिविल सेवकों के करियर में प्रगति के निर्णयों में लंबित जांचों के उपयोग पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। पत्र में चारों अफसरों जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, का जिक्रकिया और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 15 जनवरी 1999 के पदोन्नति नियमों की कंडिका-11 का हवाला दिया। इसके अनुसार निलंबन के दौरान, आरोप पत्र जारी होने पर और न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित होने की स्थिति में पदोन्नति रोकी जा सकती है। धर्मेंद्र छवई का कहना है कि उनके मामले में ये शर्तें लागू नहीं होतीं, फिर भी उन्हें न तो वरिष्ठ वेतनमान दिया गया और न ही उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को लाभ दिया गया। चिट्ठी में इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का खुला उल्लंघन बताया गया है। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जानबूझकर भेदभाव किया गया और व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते पदोन्नति रोकी गई। अधिकारी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मांग की है कि नियमों के तहत विचार करते हुए उन्हें समतुल्य वेतनमान और पदोन्नति प्रदान की जाए, ताकि न्याय मिल सके और समानता का अधिकार सुरक्षित रह सके। यह चिट्ठी मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

कैडर के आईपीएस हैं। नक्सल क्षेत्र में एसपी रहे। फिर जांजगीर-दुर्ग और कवर्धा एसपी बने। अभिषेक पल्लव तत्कालीन एसपी दुर्ग थे। इन्हें 10 लाख रूपये महीने दिए जाते थे। इन तक पैसे पहुंचाने का काम कांस्टेबल भीम यादव का था।

आरिफ शेख (2005 बैच आईपीएस): मूलतः महाराष्ट्र निवासी। पहले मणिपुर कैडर के आईपीएस थे, फिर छत्तीसगढ़ कैडर आए। बालोद, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार एसपी रहे। रायपुर आईजी, एसीबी व ईओडब्ल्यू चीफ रहे। आरिफ शेख तत्कालीन एसएसपी रायपुर थे। बाद में एसीबी-ईओडब्ल्यू के भी चीफ रहे। इन्हें 10 लाख रु पए महीने मिलते थे। यह पैसे भी एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी पहुंचाते थे।

प्रशांत अग्रवाल (2008 बैच आईपीएस): मूलतः सूरजपुर जिले के निवासी। नक्सली इलाकों से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जैसे बड़े शहरों में एसएसपी रहे। प्रशांत अग्रवाल तत्कालीन एसपी दुर्ग थे। इन्हें 10 लाख रु पये महीने भेजे जाते थे। यशवंत साहू इन पैसों की डिलीवरी करता था।

एसएसपी से अधिक पैसे दो एडिशनल को

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी को सबसे तगड़ा कमीशन मिलता था। इनके पास तत्कालीन समय में एडिशनल एसपी इंटेलिजेंस और एडिशनल एसपी रायपुर का जिम्मा था। ये 35 लाख रु पये महीना लेते थे। ये पैसा कांस्टेबल संदीप दीक्षित, रोहित उप्पल, राहुल उप्पल और प्रशांत त्रिपाठी पहुंचाते थे। वहीं, राज्य पुलिस सेवा के दूसरे अधिकारी संजय ध्रुव तत्कालीन एएसपी दुर्ग के प्रभार में रहे हैं। इन्हें 20 लाख रूपये महीने मिलते थे। इन तक ये पैसे कांस्टेबल अमित दुबे पहुंचाता था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, करीबी विजय भाटिया और बघेल के ओएसडी रहे डॉ. सूरज कुमार कश्यप को 35-35 लाख रूपये क्रमशः मनीष उपाध्याय, रोहित उप्पल, राहुल उप्पल और प्रशांत त्रिपाठी हर महीने पहुंचाते थे।

08 अफसर डीआईजी बने

आवंटन वर्ष 2012 के 08 आईपीएस अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणी, राजेश कुमार अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू शामिल हैं।

05 अधिकारियों को चयन श्रेणी

2013 के चार IPS अधिकारियों को चयन श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। इनमें डॉ. अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल और यशपाल सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जितेंद्र शुक्ला (भापुसे-2013) को भी चयन श्रेणी में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।

जोरों पर छत्तीसगढ़ में ED की कार्यवाही पर ब्रेक लगाने की तिकड़में

छत्तीसगढ़ के कोल लेव्ही परिवहन

गृहमंत्री विजय शर्मा की भूमिका भी संदेह के घेरे में

छत्तीसगढ़ के जिन आईपीएस अफसरों के प्रमोशन हुए हैं उन पर पहले से ही कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे स्थिति में अफसरों का प्रमोशन कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री विजय शर्मा की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। कहीं न कहीं प्रमोशन के मामले में विजय शर्मा ने जो भी भूमिका निभाई है वह कानूनी पहलुओं से परे है। गृहमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे अफसरों से दूरी बनाते न कि इन्हें प्रमोट करने में सहायता करते। प्रमोशन भले ही केन्द्र का मामला हो लेकिन प्रदेश के गृह मंत्रालय की भूमिका अहम है। इसके अलावा इन आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकारियों को उच्च पदों पर बैठाने में नुकसान प्रदेश का ही होगा। भूपेश सरकार में इन अधिकारियों ने काफी भ्रष्टाचार किया है। सरकार बदलने के बाद भी इन पर कार्यवाही नहीं हुई है। कहा जा सकता है कि प्रदेश का गृह मंत्रालय कही न कही इन्हें बचाने में लगा रहा। गृहमंत्री ने इन अफसरों पर कोई कार्यवाही ही नहीं की। अभी भी देखने में आ रहा है कि दांगी अफसरों को पूरी तरह से बचाया जा रहा है।

घोटाले में उपकृत होने वाले IAS और IPS अधिकारियों का काला चिटठा सामने आया है। जबकि ऐसे प्रभावशील दागी अधिकारियों के खिलाफ बगैर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किये ही मौजूदा चीफ सेकेट्री रिटायर हो गए हैं। उनकी कार्यप्रणाली से जहाँ भ्रष्टाचार को लगातार सरंक्षण प्राप्त हो रहा था, वही अब नए चीफ सेकेट्री के रु ख को लेकर मंत्रालय में गहमागहमी देखी जा रही है।

सुर्खियों में रहा IAS-IPS

अधिकारियों का काला चिट्ठा

इस बीच प्रदेश के कोल खनन परिवहन घोटाले में लिप्त रायपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर के तत्कालीन एसएसपी, कलेक्टर और अन्य अफसरों की संलिप्ता का काला चिटठा सुर्खियों में है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ कैडर के आल इंडिया सर्विस के कतिपय चुनिंदा अधिकारी भूपेश राज में आए दिन करोड़ों की रकम पर हाथ साफ कर रहे थे। उनके लेन-देन का नमूना मात्र देखकर आप रोजाना के अवैध कारोबार का अंदाजा लगा सकते हैं। घोटाले के किंगपिन से इन अफसरों का करीब का नाता बताया जाता है। ये IAS और IPS अधिकारी आपस में सांठगांठ कर छत्तीसगढ़ शासन की तिजोरी को किसी प्रोफेशनल गिरोह की तर्ज पर चूना लगा रहे थे। उनका लेनदेन गंभीर आर्थिक अपराध के दायरे में बताया जाता है। एक क्ष्क्क्ष् अधिकारी ने कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी को 11 करोड़ 05 लाख की नगद रकम की अदायगी की थी, जबकि वर्दीधारी एक प्रभावशील ASP ने इसी कोल माफिया सूर्यकान्त तिवारी से 05 करोड़ 67 लाख की नगदी प्राप्त की थी। इसके अलावा क्क्ष ने अन्य IAS-IPS की कार्यप्रणाली से भी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा पत्र लिखकर महीने भर पहले अवगत कराया था। लेकिन अकार्यकुशल निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी ने ED के इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

शिकायती जांच पत्र को लेकर थी गहमागहमी

छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के एक शिकायती जांच पत्र को लेकर मंत्रालय में गहमागहमी थी। दरअसल, नए मुख्य सचिव को ED का शिकायती पत्र विरासत में प्राप्त हुआ था। बताते हैं कि ED ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और ACB-EOW को पत्र लिखकर दागी अफसरों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने का फ़रमान जारी किया था। ED के इस पत्र में बताया गया है कि जांच के दौरान आरोपी सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 80 करोड़ रूपए से ज्यादा के लेनदेन का ब्यौरा मिला था। इसकी जाँच पड़ताल के बाद अफसरों की कार्यप्रणाली आर्थिक अपराध के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक कोल माफिया सूर्यकान्त तिवारी की डायरी में दर्ज प्रभावशाली अधिकारियों का घोटालों से करीब का नाता और अवैध कारोबार सामने आया हैं। तस्दीक की जा रही है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इनमें 02 IPS और 02 IAS समेत 01 एडिशनल SP शामिल बताये जाते हैं। उनके बीच लेनदेन के ब्यौरे में साफ किया गया है कि एक IPS अधिकारी ने सूर्यकांत तिवारी को 11.5 करोड़ सौंपे थे। जबकि खुफ़िया जिम्मेदारी संभाल रहे एक ASP को आरोपी तिवारी ने 5.67 करोड़ की नगद रकम सौंपी थी। ED ने इस पत्र में यह भी बताया है कि डायरी में दर्ज लेन-देन की तारीख, राशि और पक्षों के नाम सहित पूरा ब्यौरा मय सबूत उसे प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ शासन को यह जानकारी भी साफ कर दी गई है कि दागी अफसर किस तरह से अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। ED ने इस संबंध में 5 प्रमुख अधिकारियों का आरोपियों से जुड़े लेन-देन का ब्योरा सामने रखा है। महासमुंद जिले में तैनात रहे एक अन्य आईपीएस अधिकारी ने भी सूर्यकान्त को 2.65 करोड़ की नगदी सौंपी थी। सूत्र तस्दीक करते हैं कि अवैध वसूली के एक प्रकरण में एक अन्य IAS अधिकारी ने 75 लाख की नगदी जबकि दूसरे आईएएस ने 60 करोड़ रूपए की नगदी आरोपी सूर्यकांत को सौंपी थी।

ED के इस पत्र में बताया गया है कि जांच के दौरान आरोपी सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 80 करोड़ रूपए से ज्यादा के लेनदेन का ब्यौरा मिला था। इसकी जाँच पड़ताल के बाद अफसरों की कार्यप्रणाली आर्थिक अपराध के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक कोल माफिया सूर्यकान्त तिवारी की डायरी में दर्ज प्रभावशाली अधिकारियों का घोटालों से करीब का नाता और अवैध कारोबार सामने आया हैं। तस्दीक की जा रही है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इनमें 02 IPS और 02 IAS समेत 01 एडिशनल SP शामिल बताये जाते हैं।

आम बजट 2026....

वर्तमान नहीं, भविष्य की धुंधली तस्वीर आधारित बजट

विजया पाठक

मोदी सरकार का 2026-27 का केंद्रीय बजट आ गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा बहुत ज्यादा है। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रूपये घोषित किया गया। पूरे बजट का आंकलन किया जाये तो बजट केवल खानापूर्ति भर है। किसान, युवा, महिलाओं, व्यापारियों, आयकरदाताओं के लिए कुछ भी खास नही है। बजट को लेकर लोगों ने जो आशाएं लगाई थी वह पूरी नहीं हुई। उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। कहने तो भले ही यह भारी भरकम बजट हो सकता है लेकिन बारीकि से देखा जाये तो उम्मीदों से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। भविष्य की आहट से भरा है। केवल सरकार उम्मीद के भरोसे जनता को सपना दिखा रही है। जबकि देश की जनता वर्तमान में तात्कालिक राहत की आस लगाए बैठी थी। यही कारण है कि बजट से पूरे देश में निराशा है। बजट में ना कोई दिशा है, ना कोई जनहितकारी बड़े उपाय हैं, ना कोई उम्मीद है। बस केवल आवक-जावक दर्ज हैं। कहने को सबका साथ और सबका विकास है। परंतु, वास्तव में कॉर्पोरेट का साथ और बाकी सबका विनाश है। देश की कुल आय में कॉर्पोरेट की टैक्स हिस्सेदारी कम है और आमजन की टैक्स हिस्सेदारी ज्यादा है। जबकि, होना यह चाहिए था कि कॉर्पोरेट का टैक्स बढ़ाकर आमजन को राहत दी जाती। कुल मिलाकर यह बजट यथास्थिति का बजट है। डेटा कंपनियों को आगामी 22 वर्ष के लिए टैक्स होलीडे यानि टैक्स की छूट दे दी गई है। देश को उम्मीद थी कि सरकार आयुष्मान की व्यवहारिक कमियों को देखकर या तो उसे संशोधित करती या फिर चिकित्सा का मूल अधिकार बनाकर आमजन को आवश्यक और पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराती। उच्च शिक्षा के नाम पर सरकार ने विदेश में यात्रा, पढ़ाई और पैसे भेजने पर जो

10 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत टैक्स था और 10 लाख से उपर 20 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे घटकर 2 प्रतिशत कर दिया है। नि:संदेह इससे विदेश में जाकर पढ़ने वालों को सुविधा होगी। परंतु, भारत की शिक्षा के लिए चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, कोई प्रावधान नहीं है और उन्हें खुले बाजार पर छोड़ दिया गया है। सरकारी स्कूल जो शिक्षकों के अभाव में बंद हो रहे हैं, उसके लिए भी, कोई उपाय नहीं किए हैं तथा शिक्षा के बजट का बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों तथा यूनिवर्सिटी टाउनशिप आदि पर खर्च होगा। कालेधन संचय करने वालों के प्रति सरकार मेहरबान है और विदेशों में अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए तक की संपत्ति की जानकारी नहीं देता तो उसे पहले जो जेल में जाने का प्रावधान था, वह, अब नहीं होगा। यह काले धन के मालिकों के लिए काला-धन छुपाने की खुली छूट होगी। सरकार ने देश को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने का निर्णय किया है। परंतु, इसके लिए देश के 500 शहरों में से 50 शहर चिन्हित किए हैं यानि गांव, कस्बा और छोटे शहरों को छोड़कर केवल महानगरों का ही विकास होगा। रोजगार के नाम पर भी केवल दिखावटी और प्रचारात्मक निर्णय किया गया है। वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। अब ये 20 लाख पेशेवर कौन लोग होंगे और क्या ये पेशेवर रोजगार का विकल्प होंगे? 1.5 लाख केयर-गिवर्स के नाम के पदधारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केयर-गिवर्स का वास्तविक अर्थ होगा मेल-नर्स और जो उच्च तबके के संपन्न, लाखों की पेंशन पाने वाले, उच्च घरों में उनकी व्यक्तिगत देखभाल करेंगे और घरेलू कर्मचारियों के समान वेतन पाएंगे। इसमें सरकार की क्या भूमिका है? शोध का विषय है। ऐसा लगता है कि ट्रंप के टैरिफवार और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से घायल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जो ना खड़ी हो सकती है और ना ही चल सकती है। यह सरकार का लकवाग्रस्त बजट है।

रोजगार के नाम पर भी केवल दिखावटी और प्रचारात्मक निर्णय किया गया है। वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। अब ये 20 लाख पेशेवर कौन लोग होंगे और क्या ये पेशेवर रोजगार का विकल्प होंगे? 1.5 लाख केयर-गिवर्स के नाम के पदधारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और

बजट : एक नजर में

व्यय: 2026-27 में सरकार द्वारा 53,47,315 करोड़ रूपए खर्च करने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7 प्रतिशत अधिक है। ब्याज का भुगतान कुल व्यय का 26 प्रतिशत और कुल राजस्व प्राप्त का 40 प्रतिशत है।

प्राप्तियां: 2026-27 में (ऋण को छोड़कर) प्राप्तियां 36,51,547 करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 7.2 प्रतिशत अधिक है। कर राजस्व, जो प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा है, में भी 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

जीडीपी: सरकार ने 2026-27 में सांकेत तक जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

घाटा: 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5 प्रतिशत पर लक्षित है। यह 2025-26 के संशोधित अनुमान 1.5 प्रतिशत के समान है। 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर लक्षित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4 प्रतिशत से कम है।

ऋण: केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपने बकाया ऋणों को जीडीपी के लगभग 50 प्रतिशत तक कम करना है। 2026-27 में बकाया ऋण जीडीपी के 55.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा। लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। जिसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनयाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग, प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। क्योंकि इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं।

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा। लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। जिसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा।

अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला के तेल, डेनमार्क के ग्रीनफील्ड और आर्कटिक के दुर्लभ खनिजों पर टिकी हैं। चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में खनिज उत्खनन में लग

बजट से किसानों में निराशा

देश के किसान 2026-27 के केंद्रीय बजट से खुश नहीं हैं। किसानों का कहना है कि इसमें न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में किसी बढ़ोतरी का ज़्रिक्रहै और न ही ग्च्छ पर फ़्सलों की ख़रीद की कोई कानूनी गारंटी दी गई है। बजट किसानों के कल्याण के बजाय कॉर्पोरेट के लिए पूंजी विस्तार पर ज़्यादा ध्यान देता दिख रहा है। यह बजट ग्रामीण भारत की असलियत से मेल नहीं खाता। किसानों को काजू, बादाम, काफी और कोको जैसी महंगी फसलों का बार-बार जिक्र करके गुमराह किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बहुत अलग है। कुल 53.47 लाख करोड़ रूपये के खर्च में से, केवल 2.84 लाख करोड़ रूपये (5.31 प्रतिशत) कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि लगभग 75 प्रतिशत आबादी इन पर निर्भर है। विकास तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक उपभोक्ताओं, खासकर किसानों के हाथों में खरीदने की शक्तिन हो। वर्ष 2026-27 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को 9.98 हजार करोड़ का आवंटन मिला है, जबकि पिछले वर्ष यह 10.46 हजार करोड़ था। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थीं। खासकर मध्यप्रदेश के अन्नदाता पीएम किसान सम्मान निधि और फ़्सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कुछ अन्य मामलों में विशेष राहत की आस लगाए बैठे थे, चूंकि यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश भी है। लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण ने उनके सपनों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश है जो भारत को अनाज, दलहन और सोयाबीन की सप्लाई करता है। यहां की शरबती गेहूं अपनी गुणवत्ता और मिठास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। किसानों का कहना है कि बजट में तकनीकी और नई योजनाओं की बातें तो हैं, लेकिन इस सीजन कौन उनके साथ खड़ा होगा, इसका कोई जवाब नहीं।

पीएम किसान योजना पर कोई ऐलान नहीं

किसानों को उम्मीद थी कि वर्ष 2026-27 के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये की जा सकती है, लेकिन वित्त मंत्री ने इस योजना का जिक्र तक नहीं किया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर भी बजट में कोई उल्लेख नहीं था। न ही फसल बीमा योजना में कोई राहत नहीं दी गई।

कृषि- किसानों के लिए योजनाएं

- कृषि मंत्रालय के लिए 1.40 लाख करोड़ से अधिक आवंटित किया गया है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस।
- बजट में छोटे व सीमांत किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, तथा तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन वैल्यू चेन को मजबूत की घोषणा।
- पशुपालन के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे और पशुधन संगठनों को बढ़ावा।
- नारियल, काजू, कोको, चंदन, अखरोट, बादाम आदि फ़्सलों के लिए समर्पित सहायता कार्यक्रम और वैश्विक बाजार हेतु ब्रांडिंग सहायता दी जाएगी।
- भारत-VISTAAR नामक बहुभाषी AI टूल शुरू होगा ताकि किसान बेहतर निर्णय ले सकें और उत्पादकता बढ़ा सकें।

गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत

शिक्षा और रोजगार के लिए क्या हुई घोषणाएं

- 3 नए आर्युर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे।
- पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी।
- STEM संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी।
- 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरूहोगी।
- नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।
- 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।

आयकर दाता

- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- आय की गलत जानकारी देने पर 100 प्रतिशत जुर्माना सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है।
- मतलब कि जितनी टैक्स चोरी की कोशिश की गई उतना ही अतिरिक्त राशि दंड के रूप में चुकानी होगी।

महिलाएं के लिए ऐलान

- बजट में हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है।
- SHE Marts (शी मार्ट) महिलाओं के लिए समर्पित ऐसे बाजार/प्लेटफार्म हैं, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का सीधा अवसर मिलेगा।

ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, खेलकूद सामग्री, जैविक दवाओं, कंटेनर, इलेक्ट्रानिक्स, के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरु आत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है। ओडिशा, केरल, आंध्र, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और मध्यप्रदेश की धरती के गर्भ में खनिजों का खजाना भरा पड़ा है। इसके दोहन के लिए उद्योगपति बेरकरार हैं। लेकिन पर्यावरणीय अड़चनों के कारण पूंजीनिवेश से बचते हैं। लेकिन अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में

रेलवे और जलमार्ग की घोषणाएं

- सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का बनाने का एलान
- पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग भी शुरू होंगे।
- वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।
- समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी।

रक्षा बजट में क्या कुछ?

- कुल 15 फीसदी की बढ़ोतरी।
- 7.8 लाख करोड़ रूपये का बजट आवंटित।
- आधुनिकीकरण के लिए 21 लाख करोड़ रूपये मिलेंगे।
- रक्षा मंत्रालय (सिविल) का बजट घटकर 28,554.61 करोड़।
- रक्षा सेवाओं (राजस्व) का बजट बढ़कर 3,65,478.98 करोड़।
- रक्षा पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक 21.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- रक्षा पेंशन का आवंटन 6.53 प्रतिशत बढ़कर 1,71,338.22 करोड़।

इंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं। सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे।एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफहै यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे।

अवैध धर्मांतरण की समस्या से सख्ती से निपटने की जरूरत

प्रमोद भार्गव

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण कर ईसाई बने सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार अशिक्षित और गरीब आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरित कराने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में शिवपुरी जिले के पटवारी और शिक्षकों द्वारा भील आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक पटवारी, दो सरकारी शिक्षिकाएं, एक शिक्षक और चर्च के पादरी को धर्म परिवर्तन में लिप्त पाए जाने पर अपराध दर्ज कर गिरफ्तार तो किया ही सभी को निलंबित भी कर दिया। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। यह कार्यवाही ग्राम गुडाल डांग के सरपंच की शिकायत पर की गई। अवैध रूप से बनाई गई चर्च को भी जमींदोज कर दिया। गरीब भील आदिवासियों को 25-25 हजार रूपए का लालच देकर धर्मांतरित किया गया था। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3-5 के तहत पंजीबद्ध मामले में दोश सिद्ध होने पर 2 से लेकर 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मांतरण की समस्या से निपटने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में हैं। इसके तहत दोहरा लाभ ले रहे मतांरित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर रखने के प्रविधान रखे जाएंगे। दरअसल इस राज्य में अवैध धर्मांतरण ने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। यह प्रविधान हो जाता है

तो, जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था के चलते मतांतरण की स्थिति में अनुसूचित जातियों (एससी) के लोग आरक्षण सहित लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं, उसी तरह जनजातियों के लोग भी वंचित होने लग जाएंगे। जबकि ईसाई या मुस्लिम बने आदिवासी न केवल एसटी वर्ग का लाभ ले रहे हैं, बल्कि ईसाई के रूप में अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार इस कानूनी विसंगति को कठोर कानून बनाकर दूर करना चाहती है। इस प्रस्तावित विधेयक में बिना सूचना के मत परिवर्तन करने या कराने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। यह कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा।

एक आदिवासी नेता हुए हैं बाबा कार्तिक उरांव! वे हमेशा हिंदुत्व के पक्षधर रहे और धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण देने का विरोध करते रहे। बाबा कार्तिक उरांव तीन बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जीवन के अंतिम समय में वे नागरिक उड्डयन एवं संचार मंत्री थे। उरांव अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गुमला से मैट्रिक करने के बाद, वे ठक्कर बाप्पा के आश्रम में चले गए। उन्हीं की प्रेरणा से उरांव ने अभियांत्रिकी की कई डिग्रियां प्राप्त कीं। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होने नौ वर्ष बिताए। विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय उर्जा का प्रारूप उन्होंने ही बनाया था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में उनकी भेंट जवाहरलाल नेहरू से हुई, उन्हीं के आग्रह पर वे भारत लौटे। यहाँ भारी अभियांत्रिकी निगम में काम करने लगे। 1962 में कांग्रेस के आग्रह पर, उन्होंने तत्कालीन बिहार के लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन स्वतंत्र पार्टी के डेविड मुंजनी से मात्र 17000 वोटों से हार गए। 1967 में फिर से उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोहरदगा से चुनाव लड़ा और वे सांसद बने। 1977 की जनता लहर का अपवाद छोड़ दें, तो अपनी मृत्यु (1981) तक वे लोहरदगा का

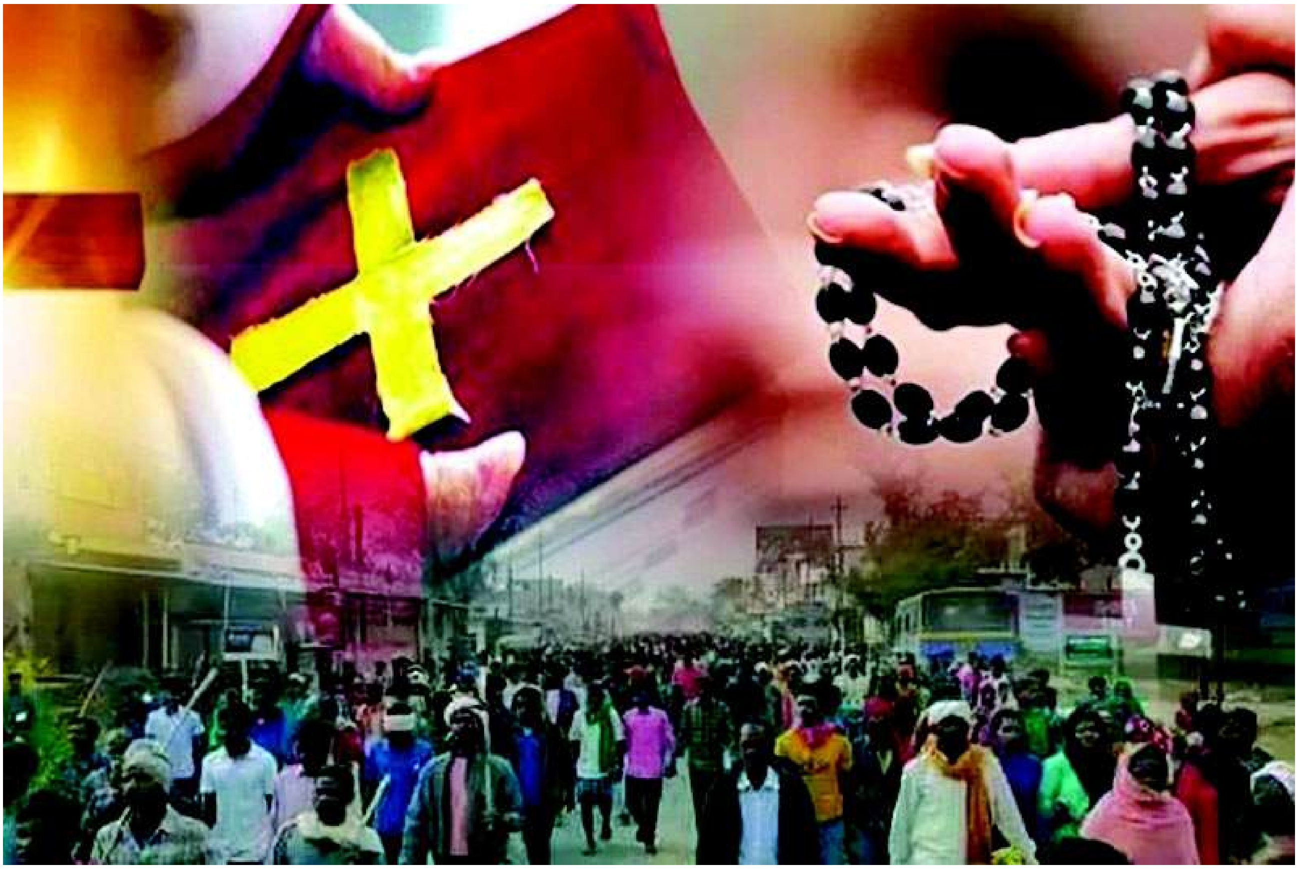

प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते रहे। 8 दिसंबर 1981 को संसद भवन में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब वे केंद्रीय उड्डयन और संचार मंत्री थे।

वनवासियों के ईसाई धर्मांतरण से वे क्षुब्ध थे। इसलिए 1967 में वे संसद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक-1967 लाए। इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने बहुत छानबीन की और 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दीं। इनमें प्रमुख सिफारिश थी, कोई भी आदिवासी व्यक्ति जिसने जनजाति आदिवासी मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा और न ही वह आदिवासियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का पात्र रह जाएगा। अर्थात धर्म परिवर्तन करने के पश्चात उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मिलने वाली

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ईसाई मिशनरियों का जबरदस्त दबाव था कि इस विधेयक का विरोध करें। ईसाई मिशन के प्रभाव वाले 50 संसद सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पत्र दिया कि इस विधेयक को खारिज कर दें।

सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। संयुक्त समिति की सिफारिश के बावजूद, एक वर्ष तक इस विधेयक पर संसद में बहस ही नहीं हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ईसाई मिशनरियों का जबरदस्त दबाव था कि इस विधेयक का विरोध करें। ईसाई मिशन के प्रभाव वाले 50 संसद सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पत्र दिया कि इस विधेयक को खारिज कर दें। कांग्रेस में रहते हुए इस मुहिम के विरोध में अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर कार्तिक उरांव ने 10 नवंबर को 322 लोकसभा सदस्य और 26 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों का एक पत्र इंदिरा गांधी को दिया, जिसमें यह जोर देकर कहा गया था की वे विधेयक की सिफारिशों का स्वीकार करें, क्योंकि यह तीन करोड़ वनवासियों के जीवन-मरण का प्रश्न हैं। किंतु ईसाई मिशनरियों के दबाव में

इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ सरकार इन्हीं कार्तिक उरांव की प्रेरणा से इस विसंगति को दूर करने की तैयारी में है।

झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मध्य-प्रदेश के ढालसिंह बिसेन ने संसद में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का चलन लगातार बढ़ रहा हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद- 342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद-341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिंदू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद-342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तारतम्य में पिछले 60 सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। इस बाबत रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट ने इस भेद को दूर करने की पैरवी की थी। लेकिन संविधान में संशोधन के बिना यह संभव नहीं था। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जब कोई व्यक्ति हिंदु धर्म या मत छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबी बन जाता है तो हिंदु होने के चलते उसके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने की अयोग्ताएं समाप्त हो जाती हैं। लिहाजा उसे संरक्षण देना जरूरी नहीं है। इस लिहाज से उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी नहीं माना जाएगा। अतएव मतांतरण रोकने के लिए इस तरह का कानून अब छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश के लिए संसद के माध्यम से लाना अनिवार्य हो गया है।

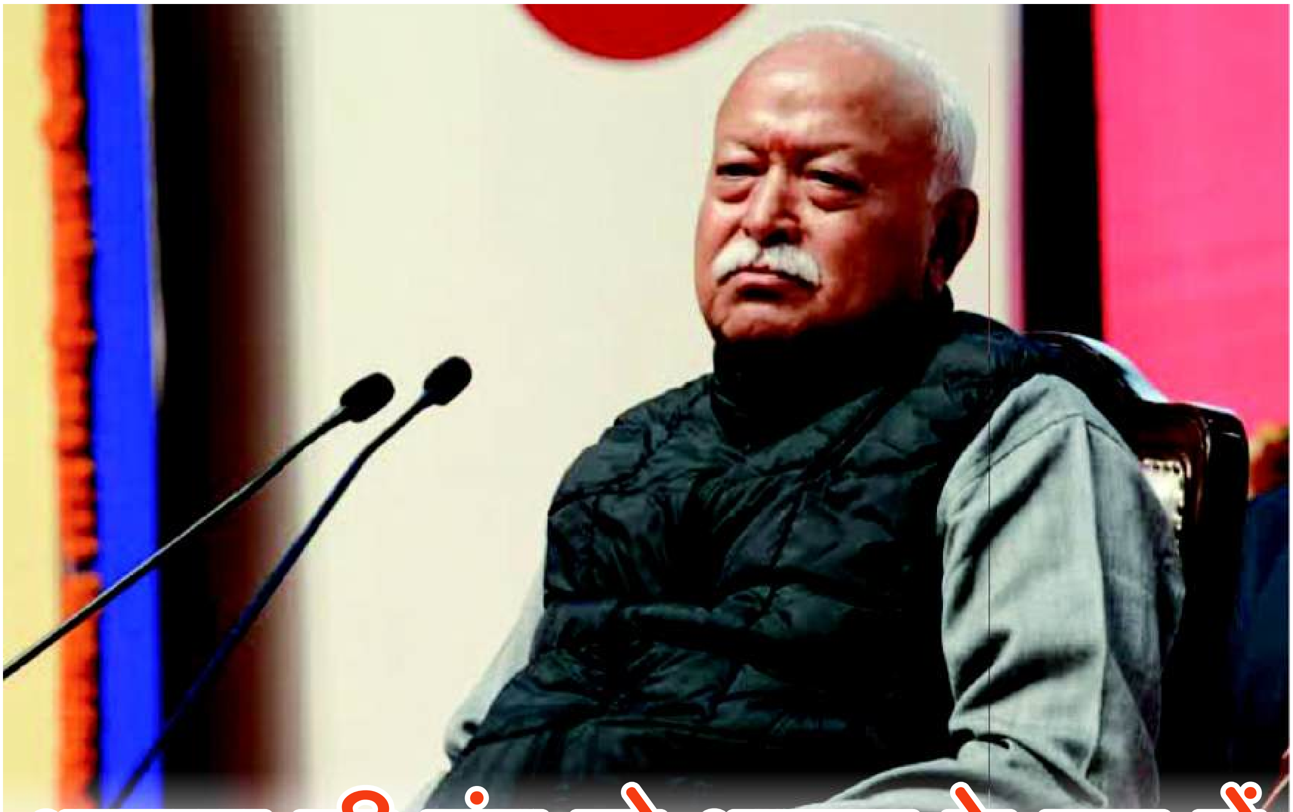

भागवत जी संघ को भाजपा के रूप में देखना लाचारी है

रघु ठाकुर

2-3 जनवरी 2026 को आरएसएस के सर संघ संचालक मप्र की राजधानी भोपाल में थे। भोपाल में प्रमुखजनों के साथ उनका संवाद का कार्यक्रम था। यह प्रमुखजनों से संवाद और संपर्क कार्यक्रम संघ ने पूरे देश में चलाया है, जहां-जहां उनकी सरकारें हैं वहाँ संघ के शीर्ष राष्ट्रीय पदाधिकारी संवाद कर रहे हैं। एक जानकारी मिली है कि उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस संवाद हेतु भेजा गया है। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख स्वतः भोपाल आये थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि संघ को भाजपा के

गुरु जी गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जनसंघ (भाजपा) की पूँजी संगठन है और संघ कमल की नाल है। जब तक बजेगी बजायेंगे वरना खा जायेंगे और अभी तक संघ कमल की नाल के रूप में जनसंघ और भाजपा को बजाती रही है।

चश्मे से न देखें तथा भाजपा को देखकर आरएसएस को समझने की भूल न करें। उन्हें यह सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी यह विचारणीय है? क्योंकि उनके कथन का निहितार्थ यह भी हो सकता है कि भाजपा अब संघ के नियंत्रण में नहीं रही। अभी तक आम धारणा थी कि मातृ शाखा संघ है तथा संगठन मंत्रियों के माध्यम से संघ भाजपा को नियंत्रण में रखता है। स्वतः संघ के द्वितीय सर संघ संचालक और विचार पुरूष माने जाने वाले गुरु जी गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जनसंघ (भाजपा) की पूँजी संगठन है

और संघ कमल की नाल है। जब तक बजेगी बजायेंगे वरना खा जायेंगे और अभी तक संघ कमल की नाल के रूप में जनसंघ और भाजपा को बजाती रही है। 1977 में आपातकाल हटने के पूर्व और लोकसभा चुनाव के पूर्व जब जयप्रकाश जी ने जनता पार्टी को बनाने की पहल की और जनसंघ को उसमें विलय करने के लिये कहा था, तब भी यह निर्णय जनसंघ ने संघ की सहमति से लिया था आर जब जनता पार्टी को तोड़कर पुनः जनसंघ (नया नाम भाजपा) बनाने की रणनीति बनी तब भी इसके पीछे संघ ही था।

एक तो संघ को आपातकाल की जेल से मुक्ति मिल चुकी थी और इसलिये वह भय मुक्त हो चुका था और दूसरे सार्वजनिक रूप से यह दबाव पार्टी में शुरू हुआ था कि

आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और दूसरे संघ निर्मित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विलय जनता पार्टी में करेंगे। परंतु ये दोनों ही वायदे संघ ने नहीं निभाये और जनता पार्टी तोड़ने की सारी योजना तैयार की।

जनसंघ के लोग जनता पार्टी से नाता तोड़े, हालांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्कालीन सर संघ संचालक बाला देवरस ने स्व. जयप्रकाश जी को वचन दिया था कि वे जनता पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और दूसरे संघ निर्मित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विलय जनता पार्टी में करेंगे। परंतु ये दोनों ही वायदे संघ ने नहीं निभाये और जनता पार्टी तोड़ने की सारी योजना तैयार की। अब धीरे-धीरे इस पर से पर्दे हट रहे हैं। पिछले दिनों हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस के बड़े नेता रहे स्व. शांताकुमार की जीवनी छपी है। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि स्व. राजनारायण के खिलाफजो रिपोर्ट उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री तत्कालीन केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री स्व.

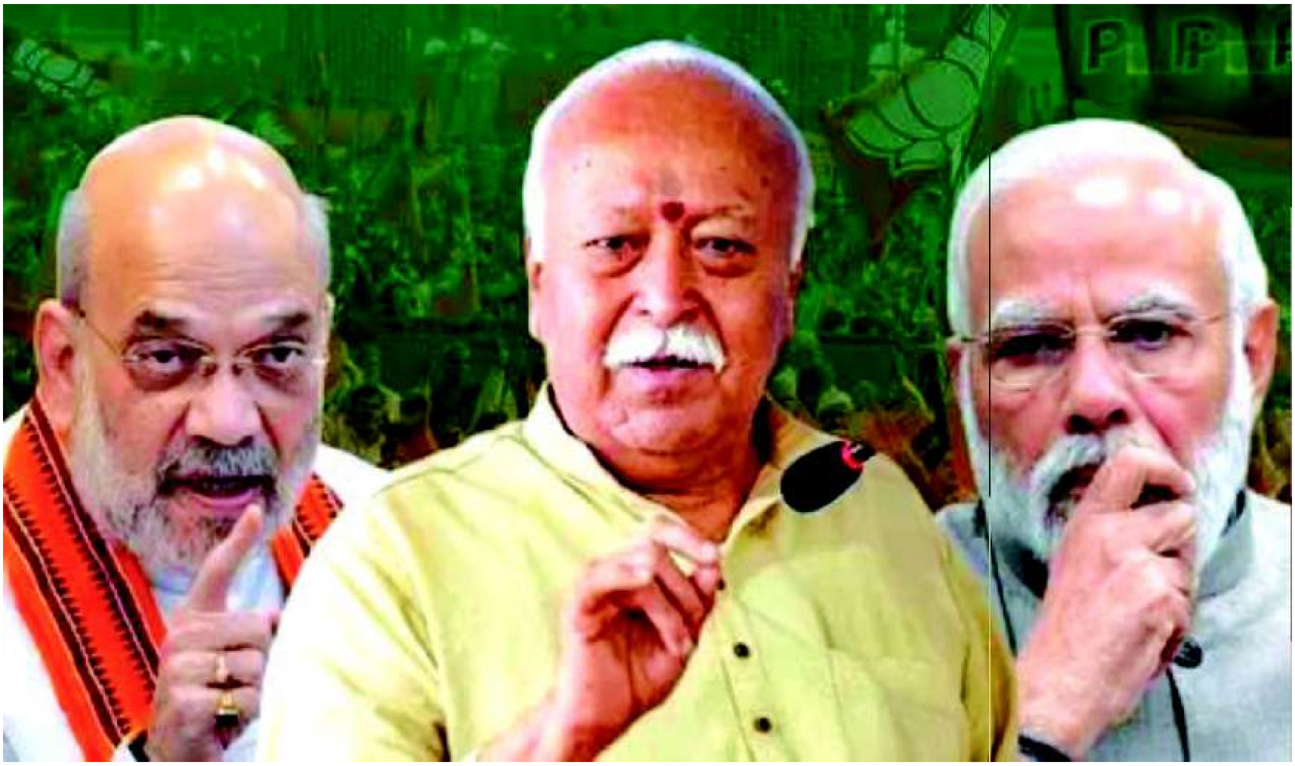

मोरारजी देसाई को भेजी थी वह सच नहीं थी, बल्कि उसे भेजने के लिये उनके उपर जनसंघ के शीर्ष नेताओं का दबाव था। यानि राजनारायण को निकाल कर पार्टी को तोड़ने की भूमिका संघ ने ही तैयार की थी। अभी 25 दिसंबर 2025 के दैनिक भास्कर में स्व अटल जी के द्वारा उनके भतीजे अभय को लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ है जो 2 अगस्त 1979 का है। इस पत्र में ही स्व. अटल जी ने जनता पार्टी को तोड़ने की तैयारी का संकेत दे दिया था। अटल ने पत्र में लिखा था- पथ तो वही रहेगा- ब्यूह रचना बदल सकती है, यानि रास्ता तो संघ का रहेगा, ब्यूह रचना के तौर पर पार्टी बदल सकती है और अब वह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि जनता पार्टी को तोड़ने की ब्यूह रचना संघ ने ही तैयार की थी। जनसंघ के नेता तो उसके मोहरे थे। इसी आधार पर मोहन भागवत का बयान कि भाजपा को देखकर आरएसएस को समझने की भूल न करें। कई संकेत देता है। उपरी

भाजपा सरकार के माध्यम से जितने लाभ उठा सकते हो चाहे धन का, सत्ता का, पद का, उठाओ जब कोई कष्ट का समय आये तो उसे त्याग दो। यानि अपराध भाजपा के और लाभ संघ के। उनके कथन का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि भाजपा का संगठन अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा है।

तौर पर यह बताने का प्रयास है कि संघ भाजपा से अलग है और यह संघ की रणनीति भी हो सकती है कि उपरी तौर पर संघ को भाजपा से अलग दिखाया जाये ताकि अगर कोई सत्ता परिवर्तन हो, यानि संघ के प्रतिकूल शक्तियों के हाथ ताकत आये तो वे कह सकें कि संघ का संबंध भाजपा से नहीं है। वैसे भी यह संघ का स्वभाव रहा है कि मीठा मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू। यानि मीठा तो खा जाओ-कड़वा थूक दो। यानि भाजपा सरकार के माध्यम से जितने लाभ उठा सकते हो चाहे धन का, सत्ता का, पद का, उठाओ जब कोई कष्ट का समय आये तो उसे त्याग दो। यानि अपराध भाजपा के और लाभ संघ के। उनके कथन का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि भाजपा का संगठन अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा है। हालांकि इसके बारे में उन्होंने अपने संबोधन में कुछ

सामान्य औपचारिक बातें भी की। जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि आपातकाल में हिप्पी बाल रखने वाले का मुंडन किया गया था, हालांकि यह चर्चा उन्होंने पहली बार की है। उन्होंने यह भी कहा कि फूहड़ फोटो घर से हटा दीजिये। परंतु कंगना रणावत के फूहड़पन पर वे कुछ नहीं बोले। भाजपा में निर्वाचित पदों पर आये संघ दीक्षित लोगों के बारे में जो अब फूहड़पन अपशब्दों और भ्रष्टाचार के पर्याय बन गये हैं उनके बारे में वे कुछ नहीं बोले।

उन्होंने अपने भाषण में एक झूठ यह भी बोला- पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को एक लाईन खीची जाने की वजह से बाहर हो गया, पर पड़ोस भारत ही तो है। उनका कथन बहुअर्थी है, इस लाइन को खींचने में कितनी भूमिका किसकी है यह उन्होंने नहीं बताया? विश्व हिंदू परिषद स्व. सावरकर, स्व. जिन्ना और उनके आरएसएस के तत्कालीन पदाधिकारियों जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष स्व श्यामाप्रसाद मुखर्जी की इस लाइन को खींचने में क्या भूमिका है, यह उन्होंने नहीं बताया। पड़ोसी भारतीय है यह कहकर वे देश के अपने अनुयाईयों को यह भी संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का है। इस तरह के बयान संघ के दीक्षित और केंद्रीय मंत्रियोंने पिछले दिनों दिये हैं।

श्री भागवत ने हिंदुओं को 4 खण्डों में बांटा है। हालांकि यह भी एक अलग और विचित्र चश्मा है। अभी तक तो संघ सभी हिंदुओं को एक मानते थे पर अब उन्हें बांटकर देख रहा है। एक वे जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और दूसरे वे जो कहते हैं कि गर्व से क्या कहें हम हिंदू तो हैं, तीसरे वे जो कहते हैं कि जोर से मत बोलो घर आओ तब बतायेंगे कि हम हिंदू हैं, चौथे जो भूल गये हैं कि हम हिंदू हैं और वे भुल्लकड़ बने रहना चाहते हैं। डॉ. भागवत के इस वर्गीकरण से एक निष्कर्ष तो यह निकलता है कि वे उन्हें ही हिंदू मानते हैं जो जोर से कहें और गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। कोई हिंदू जोर से कहे, स्पीकर पर बोलकर कहे, कूद-कूदकर कहे हम हिंदू हैं, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर इसी प्रकार से दूसरे धर्मावलंबी भी जोर जोर से चिल्लाकर या कूद-कूदकर उदघोष करें कि हम मुसलमान हैं, हम ईसाई, हम जैन हैं तो क्या इससे देश में तनाव नहीं बढ़ेगा? क्या धर्म प्रदर्शन की चीज है या मानने की। दरअसल यह 21वीं सदी धर्मों के प्रदर्शन की सदी बन रही है और विवादों का कारण भी बन रही है।

कुल मिलाकर डॉ. भागवत ने केवल शाब्दिक जुगाली की है। हालांकि मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि इंदौर में जो 20 लोग गंदे पानी की बीमारियों से मौत के शिकार हो गये, जो मासूम और बच्चे जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, मौत के शिकार हो गये, जो हजारों लोग उस गंदे पानी से बीमार हुये और अस्पताल में भर्ती हैं, वे क्या हिंदू नहीं? भागवत जी यह कैसा आपका हिंदुत्व है कि आपके मुख से इन गरीबों के लिये एक शब्द सांत्वना का भी नहीं निकला। हिंदू और सनातन धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम्य परंतु आप तो मानते हैं कि संघ स्वयं सेवक ही कुटुंबकम्य यानि देश के डेढ़ सौ करोड़ लोगों में से से कुछ लाख लोगों को ही आप अपने कुटुम्ब का मानते हैं, यह कैसा आपका हिंदुत्व है?

उन्होंने तीसरे बिंदु के हिंदु वे बताये जो कहते हैं कि घर आओ तो बतायें कि हम हिंदू हैं,मुझे इस तीसरे खण्ड का हिंदुत्व सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई दिखावा या बाह्य प्रदर्शन नही है। जब ईश्वर हमारे अंदर है तो हमें बार-बार खोजने की, दिखावे की क्या आवश्यकता है? क्या यह हमारी कमजोरी व परस्पर अविश्वास नहीं है?

कुल मिलाकर डॉ. भागवत ने केवल शाब्दिक जुगाली की है। हालांकि मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि इंदौर में जो 20 लोग गंदे पानी की बीमारियों से मौत के शिकार हो गये, जो मासूम और बच्चे जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, मौत के शिकार हो गये, जो हजारों लोग उस गंदे पानी से बीमार हुये और अस्पताल में भर्ती हैं, वे क्या हिंदू नहीं? भागवत जी यह कैसा आपका हिंदुत्व है कि आपके मुख से इन गरीबों के लिये एक शब्द सांत्वना का भी नहीं निकला। हिंदू और सनातन धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम्य परंतु आप तो मानते हैं कि संघ स्वयं सेवक ही कुटुंबकम्य यानि देश के डेढ़ सौ करोड़ लोगों में से से कुछ लाख लोगों को ही आप अपने कुटुम्ब का मानते हैं, यह कैसा आपका हिंदुत्व है? किसी दूसरे देश में एक हिंदू की हत्या होने पर आप चिंतित होते हैं, होना भी चाहिये परंतु देश में सत्ता के भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता से कितने लोग मर जाते हैं, उनके लिये आप चिंता क्यों नहीं करते? बांग्लादेश की घटना के संदर्भ में आपने कहा कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वहां उसका प्रभाव कम हुआ। इसलिये हिंदु जनसंख्या व हिन्दु होने की भावना सतत बढ़ती रहना चाहिये। अभी पिछले दिनों कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया में कुछ घटनायें हिंदुओं के साथ घटी हैं तो बताइये कि इन देशों में से याने कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यहां तक कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू कितने बच्चे पैदा कर पाये कि हिंदु माइनारिटी न रहे। माइनारिटी वहाँ केवल माइनारिटी नहीं है बल्कि आपके द्वारा नियंत्रित सत्ता की अक्षमता का शिकार है। इसलिये आपके बयान के विपरीत हम आरएसएस को, भाजपा को देखकर ही समझने को लाचार हैं।

दावोस 2026 का कूटनीतिक विद्रोह और बदलती विश्व व्यवस्था

किशन भवनानी

वैश्विक स्तर पर 19-23 जनवरी 2026 को स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक इतिहास में केवल आर्थिक बहसों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके परंपरागत सहयोगियों के बीच खुले कूटनीतिक टकराव के लिए याद की जाएगी। यह वही मंच है, जहाँ वैश्विक सहमति बनती रही है, लेकिन इस बार वैश्विक असहमति ने स्वर लिया। ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल अब स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि अमेरिका फर्स्ट अब अमेरिका अलोन की ओर बढ़ रहा है और यही बात यूरोप, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए असहनीय बनती जा रही है। 22 जनवरी को ट्रंप जब दावोस के लिए रवाना हो रहे थे, तभी उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई। उन्हें सीमा क्षेत्र में आपात लैंडिंग करनी पड़ी और फिर दूसरे विमान से दावोस पहुँचना पड़ा। यह घटना केवल एक तकनीकी व्यवधान नहीं थी, बल्कि कई विश्लेषकों ने इसे अमेरिकी नेतृत्व की अस्थिरता का प्रतीकात्मक संकेत माना। योजना के अनुसार ट्रंप को 45 मिनट का भाषण देना था, लेकिन उन्होंने 70 मिनट तक मंच पर रहकर यूरोप, नाटो, कनाडा और वैश्विक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। यह भाषण रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और चेतावनी-भरा था। वे अब साझेदारी की भाषा छोड़ चुके हैं और शक्ति की राजनीति को खुलकर अपना चुके हैं। उनके भाषण के पाँच प्रमुख बिंदु

(1) ग्रीनलैंड की सुरक्षा केवल अमेरिका कर सकता है, संप्रभुता पर खुली चुनौती (2) कनाडा अमेरिका की वजह से है, मित्र राष्ट्र का अपमान (4) नाटो पर ट्रंप का अविश्वास सुरक्षा गठबंधन की नींव हिलती हुई (5) ग्रीनलैंड के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन शर्तों के साथ यह पांचो बातें विश्व राजनीति में दूरगामी प्रभाव डालते हैं।

बात अगर हम ट्रंप द्वारा दाओस 2026 में 70 मिनट के भाषण में पांच बातों को विस्तार से समझने की करें तो (1) ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा केवल अमेरिका कर सकता है, और यह किग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। यह बयान डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन की संप्रभुता पर सीधा आघात है। ग्रीनलैंड न केवल आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, बल्कि दुर्लभ खनिजों, सामरिक समुद्री मार्गों और भविष्य की उर्जा राजनीति का केंद्र भी है। ट्रंप का यह दावा बताता है कि अमेरिका अब अंतरराष्ट्रीय कानून से उपर स्वयं को मानने की मानसिकता में प्रवेश कर चुका है। (2) ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए ट्रंप ने डेनमार्क को अहसान फ्रामोश कहा। यह भाषा किसी राष्ट्राध्यक्ष की नहीं, बल्कि कारपोरेट बास या गैंग लीडर की शैली जैसी प्रतीत होती है। यही कारण है कि यूरोपीय सांसदों और मीडिया ने ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर तक कहा। यह छवि अब केवल आलोचना नहीं, बल्कि वैश्विक धारणा बनती जा रही है। (3) ट्रंप ने कहा कि आज का कनाडा अमेरिका की वजह से है, और कनाडा के पीएम को यह याद रखना चाहिए।यह बयान न केवल ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है, बल्कि कनाडा की संप्रभुता और आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कारने का भाषण दावोस का सबसे चर्चित भाषण बन गया। मार्क कारने का जवाब,झूठ की दुनिया बनाम सम्मान की राजनीति मार्क कारने ने कहा, हम एक झूठ की दुनियाँ में जी रहे हैं, जहाँ कमजोर देशों से यह उम्मीद की जाती है कि वे ताकतवर देशों के सामने झुक जाएँ। यह सोच कि इससे उनके हित सुरक्षित रहेंगे, एक प्रकार की गुलामी है और यह अब नहीं चलेगी। उनकी पाँच मुख्य बातें स्पष्ट संकेत देती हैं कि अमेरिका -केंद्रित वैश्विक व्यवस्था अब टूट रही है। (4) ट्रंप ने कहा कि उन्हें शक है कि

जरूरत पड़ने पर नाटो अमेरिका की मदद करेगा या नहीं।यह बयान नाटो जैसे संगठन की आत्मा पर प्रहार है।यदि अमेरिका स्वयं अपने बनाए गठबंधन पर विश्वास नहीं करता,तो यूरोप क्यों भरोसा करे? छोटे देश क्यों आश्वस्त रहें? यही कारण है कि यूरोप अब स्वतंत्र सुरक्षा संरचना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। (5) ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन यह कथन किसी आश्वासन की तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव जैसा लगा।इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले ताकत नहीं कहता है, फिर आर्थिक दबाव, प्रतिबंध, और अंततः सैन्य उपस्थिति के ज़रिए लक्ष्य हासिल करता है।

बात अगर हम भारत-यूरोप-अमेरिका त्रिकोण: रणनीतिक संतुलन की नई परीक्षा इसको समझने की करें तो, भारत-यूरोप-अमेरिका का त्रिकोण लंबे समय तक लोकतांत्रिक मूल्यों, मुक्त व्यापार और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित माना जाता रहा है, लेकिन ट्रंप युग की आक्रमक अमेरिका फर्स्ट नीतिने इस संतुलन को अस्थिर कर दिया है। यूरोप अब खुलकर अमेरिकी दबावों का विरोध कर रहा है, जबकि भारत इस टकराव में प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की नीति पर चल रहा है। भारत के लिए यह स्थिति अवसर और चुनौती दोनों है,अवसर इसलिए कि यूरोप अब भारत को एक भरोसेमंद आर्थिक और राजनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, और चुनौती इसलिए कि अमेरिका अब साझेदारी को बराबरी नहीं, बल्कि अधीनता की शर्तों पर परखना चाहता है। इस त्रिकोण में भारत की भूमिका बैलेंसिंग पावर की बनती जा रही है। यूरोप भारत के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई-चेन में सहयोग बढ़ाना चाहता है, जबकि अमेरिका भारत को चीन-विरोधी रणनीति के एक औज़ार की तरह देखता है। ऐसे में भारत के लिए स्पष्ट है कि उसे किसी एक ध्रुव में बंधने के बजाय मल्टी-अलाइनमेंट की नीति को और मज़बूत करना होगा।दावोस 2026 के घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत-यूरोप संबंध अधिक गहरे होंगे, जबकि अमेरिका के साथ रिश्ते हित-आधारित लेकिन सतर्क रहेंगे।

बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता : शक्ति बनाम नियमों की टकराहट इसको समझने की करें तो, अंतरराष्ट्रीय कानून की मूल आत्मा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आपसी सहमति पर आधारित है, लेकिन ट्रंप की भाषा और दावोस में दिए गए बयान इन सिद्धांतों को चुनौती देते दिखाई देते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर सुरक्षा के नाम पर दावा करना,डेनमार्क जैसे संप्रभु देश को अपमानित करना और सहयोगी देशों पर दबाव बनाना यह दर्शाता है कि अमेरिका अब नियम-आधारित व्यवस्था से शक्ति-आधारित व्यवस्था की ओर झुक रहा है। यह

रूख केवल यूरोप के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है।भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि भारत हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संप्रभुता और गैर- हस्तक्षेप का पक्षधर रहा है। यदि शक्तिशाली देश खुले तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी करने लगें, तो छोटे और मध्यम देशों की सुरक्षा और स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण भारत और यूरोप दोनों के हित इस बात में निहित हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और बहुपक्षीय संस्थाओं को मज़बूत करें। दावोस 2026 यह स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष कानून बनाम ताकतके बीच होगा, और इसी संघर्ष में नई विश्व व्यवस्था का स्वरूप तय होगा।

बात अगर हम 23 जनवरी 2026 को समाप्त हुई दओस बैठक की करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यूरोपीय नेता अब बंद कमरों में नहीं, खुले मंच से ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों ने कहा, यूरोप को अब अमेरिका की ताकत के सामने झुकने की आदत छोड़नी होगी। ब्रिटेन के पीएम ने स्पष्ट किया कि वे ग्रीनलैंड मुद्दे पर और टैरिफ धमकियों पर अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। यह बयान इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता रहा है।अब व्यक्तिगत अहंकारों से संचालित हो रही है। अमेरिका फर्स्ट से विश्व फर्स्ट की टकराहट, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब स्पष्ट रू प से बहुपक्षीय संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय नियमों, और साझी जिम्मेदारियों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। इसके विपरीत, यूरोप और कनाडा सम्मान, साझेदारी और संतुलन की बात कर रहे हैं।दावोस 2026 यह संकेत देता है कि अमेरिका का निर्विवाद नेतृत्व समाप्त हो रहा है, दुनियाँ बहुध्रुवीय नहीं, बल्कि खंडित हो रही है। यह बदलाव किसी नए संतुलन की ओर नहीं, बल्कि अनिश्चितता और टकराव की ओर संकेत करता है।

अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दावोस 2026 इतिहास का मोड़ हैं, दावोस 2026 केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच विश्वास के टूटने का दस्तावेज़ बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक भाषा, यूरोप का खुला प्रतिरोध,कनाडा और ब्रिटेन की स्पष्ट असहमति ये सब संकेत हैं कि पुरानी विश्व व्यवस्था अब टिकाउ नहीं रही। दुनिया किसी नए नेतृत्व की ओर नहीं, बल्कि नए संघर्षों और नई सच्चाइयों की ओर बढ़ रही है। यह केवल ट्रंप युग नहीं, बल्कि एक युगांत का संकेत है।

अन्नदाता
मध्यप्रदेश शासन
पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं
उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति
मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
ये विकल्प अपनाएं
हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग
हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी
रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी
बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं
धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग
JFARM SERVICES
पराली हटाने के यंत्र
farmer.mpdage.org
पर खरीदें या
JFarm Services app
के जरिए
किराये से प्राप्त करें
प्राकृतिक खेती को अपनाएं
मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि
रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति
प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं
आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....

वस्त्र मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES
MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025
मध्यप्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि का द्वार
देश का सबसे बड़ा
'पीएम मित्र' पार्क
धार, मध्यप्रदेश
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5F विज़न
फार्म टू फाइबर । फाइबर टू फैक्ट्री । फैक्ट्री टू फैशन । फैशन टू फॉरेन
कम्पलीट वैल्यू चेन @ वन डेस्टिनेशन
कताई से लेकर सिलाई तक पूरी प्रक्रिया के लिये एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क
पार्क क्षेत्र - 2,158 एकड़
₹ 20 हजार करोड़ का निवेश सुनिश्चित
3 लाख लोगों को रोज़गार
टेक्सटाइल के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठित 91 कंपनियों को निवेश प्रस्ताव के अनुरूप भूमि आवंटित
फार्म से फॉरेन तक मध्यप्रदेश का वस्त्र उद्योग
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन: म.प्र. माध्यम/2025

वैभव सूर्यवंशी : भारत का उभरता क्रिकेट का सितारा

वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में क्रिकेट जगत में धूम मचा दी है। 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर में जन्मे वैभव ने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट के प्रति जुनून दिखाया, जिसे उनके पिता ने समझा और बढ़ावा दिया। महज 13-14 साल की उम्र में, उन्होंने 2025 आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए इतिहास रचा। उन्होंने 35 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक (भारतीयों में) लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अंडर-19 विश्व कप में, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 गेंदों में अर्धशतक और अन्य मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही, वे 6 अलग-अलग देशों में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वह एक आक्रामक और निडर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ समान रूप से सहज हैं।

वैभव की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा हाथ है। उनके पिता ने बेटे के सपनों के लिए अपनी खेती और घर तक दांव पर लगा दिया था। वह ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं।

परिवार का बलिदान और प्रेरणा

वैभव की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा हाथ है। उनके पिता ने बेटे के सपनों के लिए अपनी खेती और घर तक दांव पर लगा दिया था। वह ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं। पूर्व दिग्गज खिलाडियों ने वैभव को टीम इंडिया के भविष्य के रूप में देखना शुरूकर दिया है। उनकी हालिया फार्म को देखते हुए, उन्हें भविष्य का सुपरस्टार माना जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी न केवल बिहार, बल्कि पूरे

भारत के लिए एक उभरती हुई प्रतिभा हैं। उनकी निडर शैली और कम उम्र में रिकार्ड बनाने की क्षमता उन्हें आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम बनाती है। एक पिता अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए उनसे जो कुछ भी होता है वो सब करते हैं। पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। ऐसा ही कुछ वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी की भी सोच थी। वैभव के पिता पेशे से तो एक किसान हैं, लेकिन उनकी आंखों में बेटे लिए क्रिकेटर बनाने का सपना था। बिहार के समस्तीपुर जिले में पड़ने वाले छोटे से गांव ताजपुर प्रखंड के रहने वाले वैभव के पिता खेती बाड़ी काम करते थे। क्रिकेट जैसे खेल के लिए अच्छी ट्रेनिंग और कोचिंग की व्यवस्था समस्तीपुर जैसे छोटे शहर में उपलब्ध नहीं था।

ऐसे में पिता ने वैभव को करीब 100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया। इसके लिए पैसे भी जरूरत थी। आय का कोई बड़ा जरिया नहीं था, तो वैभव के पिता ने अपनी जमीन बेच दी। वैभव के लिए उनके पिता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह खुद अपने बेटे के लिए टिफिन पैक करते थे। वैभव 10 साल के थे तो वह अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ नेट्स प्रैक्टिस कर एक दिन में 600 से ज्यादा गेंदें खेलते थे। वैभव के पिता की ये मेहनत बेकार नहीं गई। बता दें कि वैभव जैसे देश में लाखों करोड़ों युवा हर दिन अपनी आंखों में क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता बहुत ही कम को मिल पाती है। ऐसे में अगर वैभव क्रिकेटर नहीं बन पाते तो उनके पिता का सब कुछ खत्म हो जाता।

14 साल की उम्र में वैभव ने रचा दिया इतिहास

वैसे तो वैभव सूर्यवंशी की उम्र महज 14 साल की है। 14 साल की उम्र के बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि वह स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन वैभव जिस अंदाज में इंडियन प्रीमियर लीग में इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। वैभव के पास खुद को निखारने का अभी बहुत समय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वैभव के लिए उनके पिता ने अपनी सबसे बड़ी पूंजी जमीन को बेचने का जो रिस्क लिया था वह सफल हुआ। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने संघर्षों की कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे उनकी मां सिर्फ 3 घंटे सोती थीं और पिता ने उनका क्रिकेट सपना पूरा करने के लिए जमीन तक बेची।

प्रमुख बिंदु

बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर और कुल मिलाकर चौथे सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने।

रणजी ट्रॉफी में अपने पदार्पण के समय, वह युवराज सिंह के रिकार्ड को तोड़ते हुए आधुनिक युग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे।

अलीमुद्दीन के नाम सबसे कम उम्र में भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने का समग्र रिकार्ड है।

नवंबर 2024 में, वह 13 साल और 241 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के टी 20 क्रिकेटर बन गए, जब उन्होंने राजस्थान के खिलाफ बिहार के लिए पदार्पण किया।

दिसंबर 2024 में, वह विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ बिहार की ओर से खेलते हुए 13 साल और 269 दिन की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए।

2023 में, उन्होंने भारत की अंडर-19 बी टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने एक चतुष्कोणीय श्रृंखला में दो अर्धशतकों के साथ छह पारियों में 177 रन बनाए।

उन्होंने सितंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ भारत अंडर-19 के लिए पदार्पण किया।

उन्होंने अपने अंडर-19 टेस्ट डेब्यू मैच में भारत की अंडर-19 टीम के लिए सबसे तेज शतक (58 गेंदों में) बनाया और 104 रन बनाकर पारी समाप्त की।

उनका अंडर-19 टेस्ट शतक अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक था।

2024 एसीसी अंडर-19 एशिया कप में उन्होंने यूएई अंडर-19 टीम के खिलाफ 46 गेंदों में 76 रन बनाए।

उन्होंने 2024 एसीसी अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 36 गेंदों में 67 रन भी बनाए थे।

1857 स्वातंत्र्य समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह

नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चेन सिंह को विश्वासघात की जानकारी मिलते ही उन्होंने गद्दार आनंदराम को मौत के घाट उतार दिया। एक और मंत्री रूपराम बोहरा ने इन्दौर के होल्कर राज्य द्वारा अंग्रेजों के विरूद्ध मध्य भारत के सभी रजवाड़ों को संघर्ष के लिए एकजुट करने हेतु बैठक बुलाने तथा उसमें कुंवर चैनसिंह के भाग लेने की जानकारी मैडाक को पहुंचाई थी। उसे भी गद्दारी करने के लिए कुंवर चैन सिंह ने दण्ड स्वरूप मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज यह कैसे बर्दाश्त करते। रूपराम के भाई ने चेनसिंह द्वारा अपने भाई को मार डालने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरहल और सीहोर में मैडाक के पास दर्ज कराई। 1818 में कैप्टन स्टीवर्ड और भोपाल के नवाब नजरउद्दौला नजर खान के बीच रायसेन में एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत अंग्रेजों ने सीहोर में अपनी छावनी कायम की। यहाँ मैडाक को पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त किया जिसके नियंत्रण में 1000 संख्या वाली फौज रखी गई। इस फौज को भोपाल राज्य के खजाने से वेतन दिया जाता था। भोपाल के साथ-साथ नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ की रियासतों संबंधी राजनीतिक अधिकारी भी मैडाक को सौंप दिए गए। नवाव भोपाल तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी अंग्रेजों का वफादार बना रहा, लेकिन अंग्रेजों की कुटिलता के कारण सीहोर छावनी की स्थापना के छः वर्ष बाद ही उन्हें क्रांति का सामना करना पड़ा। नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान आनंदराम वख्शी को अंग्रेजों ने मिला लिया था जो

नरसिंहगढ़ राजपरिवार की गुप्त जानकारियाँ मैडाक को देता था। नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैनसिंह को इस विश्वासघात की जानकारी मिलते ही उन्होंने गद्दार आनंदराम को मौत के घाट उतार दिया एक और मंत्री रूपराम बोहरा ने इन्दौर के होल्कर राज्य द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध मध्य भारत के सभी रजवाड़ों को संघर्ष के लिए एकजुट करने हेतु बैठक बुलाने तथा उसमें कुंवर चैनसिंह के भाग लेने की जानकारी मैडाक को पहुंचाई थी। उसे भी गद्दारी करने के लिए कुंवर चैन सिंह ने दण्ड स्वरूप मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज यह कैसे बर्दाश्त करते। रू पराम के भाई ने चैनसिंह द्वारा अपने भाई को मार डालने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल और सीहोर में मैडाक के पास दर्ज कराई। इस पर गवर्नर जनरल ने मैडाक से जवाब-तलब किया। मैडाक ने चैन सिंह को अपने सामने उपस्थित होने का संदेश भेजा चैन सिंह के न

आने पर उसने सीहोर से अलग हटकर बैरसिया में अपना शिविर लगाकर दोबारा चैनसिंह को वहां आने का संदेश भेजा। वैरसिया में चैनसिंह अपने दल-बल सहित आए और मैडाक से मुलाकात की। मैडाक ने चैनसिंह के सामने शर्तें रखीं। एक वह हमेशा के लिए नरसिंहगढ़ क्षेत्र में होने वाली अफीम की खरीद सिर्फ अंग्रेज ही करें। मैडाक ने यह भी कहा कि यदि ये शर्तें नहीं मानी गई तो चैनसिंह के खिलाफ दोनों मंत्रियों की हत्या का मुकदमा चलेगा चैन सिंह के मुखर विरोध और शर्ते न मानने पर मैडाक ने उन्हें 24 जून, 1824 को सीहोर आने को कहा।

चैन सिंह ने अंग्रेजों की अपमानजनक शर्ते मानने के बजाय संघर्ष को वरीयता दी और नरसिंहगढ़ से अपने विश्वस्त साथियों को लेकर निर्धारित तिथि को सीहोर आ पहुँचे। सीहोर में वही हुआ, जिसका चैन सिंह को पूर्वाभास था। वर्तमान कलेक्टर निवास जो तव पोलीटिकल एजेण्ट का निवास था, में चैनसिंह और मैडाक की मुलाकात हुई। मैडाक ने चैनसिंह की तलवार दे देने पर दूसरी तलवार भी मांगी तो चैन सिंह ने, जो अब तक उन्हें निहत्या कर बंदी बनाने अथवा मार डालने की साजिश भांप चुके थे, दूसरी तलवार मैडाक को यह कहकर नहीं दी कि राजपूत की कमर शस्त्र से खाली नहीं रहती। इसी बात पर तकरार बढ़ गई और मैडाक द्वारा अपनी फौज को चैनसिंह को बंदी बनाने का आदेश देते ही चैन सिंह ने मैडाक पर हमला बोल दिया। पोलिटिकल एजेंट मार-काट के मचते ही जान बचाकर भागा। चैन सिंह ने बाहर आकर अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैनसिंह के साथियों और अंग्रेजों के बीच भीषण लड़ाई हुई। एक ओर चैन सिंह और उनके मुठ्ठी भर वीर साथी थे तो दूसरी ओर एक बड़ी और सुसज्जित अंग्रेजी फौज कुछ घण्टों की लड़ाई में ही चैनसिंह के अधिकांश साथी मारे गए। चैनसिंह और उनके दो अंगरक्षकों हिम्मत खाँ और बहादुर खाँ ने अंग्रेजी फौज को फिर भी नहीं छोड़ा। वे बहादुरी से लड़ते रहे। अंततः सीहोर के वर्तमान दशहरा बाग वाले मैदान में चैन सिंह और उनके दो साथियों ने भी बहादुरी से लड़ते-लड़ते वीरगति प्राप्त की। कहा जाता है कि इस संघर्ष में चैन सिंह के साथ ही उनका पालतू धान शेरूभी अंग्रेजों के हाथों काल का प्रास बना था।

> **चैन सिंह ने अंग्रेजों की अपमानजनक शर्ते मानने के बजाय संघर्ष को वरीयता दी और नरसिंहगढ़ से अपने विश्वस्त साथियों को लेकर निर्धारित तिथि को सीहोर आ पहुँचे। सीहोर में वही हुआ, जिसका चैन सिंह को पूर्वाभास था।**

सीहोर के दशहरा बाग मैदान में कुंवर चैनसिंह के स्मारक के रूप में निर्मित छतरी के पास ही उनके साथियों हिम्मत खाँ और बहादुर खाँ तथा शेरू की कद्र 1824 के संग्राम की याद ताजा कर देती हैं। कालान्तर में चैन सिंह सीहोर नगर और आसपास के गाँवों के पूज्य बने। आज भी हरबोलों द्वारा चैन सिंह की गौरवगाचा गाँव-गाँव गाई जाती हैं, जैसे चैन सिंह राजा की करूं, क्या बढ़ाई, फिरंगियों को भुला दी रे लड़ाई।

फांसी

बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से,
लटकते आये अक्सर पैकरे-ईसार फांसी से।

लवे-दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी,
तमन्ना थी कि करता में लिपटकर प्यार फांसी से।

खुली है मुझको लेने के लिए आगोशे आज़ादी,
खुशी है, हो गया महबूब का दीदार फांसी से।

कभी ओ बेखवर तहरीके-आज़ादी भी रूकती है?
बढ़ा करती है उसकी तेज़ी-ए-रफ्तार फांसी से।

यहां तक सरफरोशाने-वतन बढ़ जाएंगे कातिल,
कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो-चार फांसी से।

- रामप्रसाद बिस्मिल

Bihar looks set to become a graveyard of social justice and a playground for corporate czars

Rinku Yadav

After 2010, this is the second time that the National Democratic Alliance (NDA) has secured such a big win in the Bihar Assembly elections. In 2010, the alliance had secured 206 seats. This time, it has won 202. The tally of the opposition Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) is a pathetic 35. The NDA has won a decisive mandate. What do these 2025 Bihar Assembly election results imply? What do they foretell about Bihar?

We can begin with the social composition of the new Vidhan Sabha, which can reveal a lot about the sociopolitical present and future of Bihar. Of the 243 newly elected MLAs, 72 (26.93 per cent) are from Hindu upper castes, who form 10.57 per cent of the state's population. The number of MLAs from the Hindu upper castes in proportion to their population would be around 26, but they are almost three times that number. The number of Hindu Backward Classes (BC) MLAs is 79, that is 32.51 per cent, and of Hindu Extremely Backward Classes (EBC) MLAs is 41 (16.87 per cent). The population of Hindu EBCs and Hindu BCs is almost equal and they together form 50.09 per cent of Bihar's population. This means that the number of EBC and BC MLAs taken together should have been 121-122. The number today is 120. Their share in the Vidhan Sabha is 49.38 per cent, a tad lower than their share in the population.

Among the BCs, Yadavs, Kurmis and Kushwahas are dominant in the sociopolitical arena. Where do these castes stand vis-à-vis the upper caste Hindus in the 18th Vidhan Sabha? The number of Yadavs in the new Vidhan Sabha is 26, of Kurmis is 14 and of Kushwahas is 24. Their total number is 64, which is eight less than

that of upper castes. This, when the combined population of the three BC castes is 21.34 per cent, which is almost twice the total population of four upper castes. Also noteworthy is that BC MLAs are seven more than upper-caste MLAs while the population of the backward classes is twice that of the upper castes.

In caste terms, Rajputs have the highest representation in the assembly. There are 32 Rajput MLAs, though Rajputs form just 3.54 per cent of the state's population. Yadavs are 14.26 per cent of the population and have 26 representatives in the assembly. Going by their share in the population, the number of Rajput MLAs should have been eight and of Yadavs 34-35. The number of Bhumihars is 25, just one less than the Yadavs. The Bhumihars have a 2.86 per cent share in the population and going by that figure, there should have been seven of them in the assembly. Kurmis, whose share in population (2.87 per cent) is almost equal to that of the Bhumihars, have 14 MLAs. The Kushwaha population at 4.21 per cent is more than Bhumihar and Rajput, and are represented by 24 MLAs. They are thus far behind the Rajputs and two less than the Bhumihars. Brahmins, who form 3.65 per cent of the population highest among the upper castes have 13 MLAs. Going by their share in population, their number should have been nine. The number of Kayastha MLAs is two more or less proportionate to their population.

Among EBCs, the Teli are considered an influential caste. Their population is almost equal to that of the Bhumihars but the number of Bhumihar MLAs is almost three times the number of Teli MLAs.

To sum up, the proportion of Rajputs in the Bihar Assembly is four times their proportion in the population, Bhumihars are 3.5 times, Brahmins 1.5 times, and Kayasthas are almost proportionate. The Kushwaha MLAs are more than twice their share in population, Kurmis are twice, Banias are a shade less than twice and Dhanuks and Telis slightly higher than their share in population. Surprisingly, the number of Yadav MLAs is nine less than what it should have been on the basis of their share in the total population.

Needless to say, the ratio of any community's share in the assembly to its share in the population is indicative of its political clout. These figures tell us that now the upper castes are politically much more influential than the BC-EBC Hindus and there is no BC or EBC caste that can match the clout of Rajputs and Bhumihars.

In the assembly elected in 2020, the number of Hindu upper-caste MLAs was 64, that is 26.33 per cent. In the new assembly, their numbers are up by eight and their percentage

by 3.3. Of the Hindu upper-caste MLAs, the highest 42 are from the Bharatiya Janata Party (BJP). The Janata Dal United (JDU) has sent the second highest number of upper-caste MLAs (18). They are followed by Lok Janshakti Party (Ram Vilas Paswan) [LJP(R)], which has seven upper-caste MLAs, Upendra Kushwaha's Rashtriya Loktantrik Morcha which has two and Jeetanram Manjhi's Hindustani Awam Morcha (HAM), which has one. The Rashtriya Janata Dal (RJD) the leading party in the INDIA alliance has only two upper-caste MLAs both Bhumihars. Of the 72 upper-caste MLAs, 70 are from the NDA. In 2020, 70.31 per cent upper-caste MLAs were from the NDA. The corresponding figure this time is 97.22 per cent. In 2020, of the upper-caste MLAs, 51.56 per cent were elected on a BJP ticket and 14.06 came from the JDU. This time, 58.33 per cent are from BJP and 25 per cent from the JDU. In 2020, of the 74 BJP MLAs, 33 (44.52 per cent) were upper-caste. This time, out of the party's 89 MLAs, 42 (47.19 per cent) are from one or the other upper caste. Of the 85 JDU MLAs, 18 (21.17 per cent) are upper-caste. Thus, cumulatively, 35.64 per cent of the NDA MLAs are upper-caste. It is clear that the BJP has emerged as a party representing the interests of the upper castes, whose MLAs also have a sizeable presence in other parties of the NDA.

The upper castes have not only gained an upper hand but they have rallied around the NDA. It's official now that the upper castes will have a greater control on the levers of power in Bihar than earlier.

In many ways, the outcome of the 2025 polls is historic. The number of Yadavs in the assembly has plummeted. Since 1990, it is for the first time that an upper caste has the highest number of MLAs in the assembly and the numerically biggest Hindu caste, Yadav, have only 26 just 10.69 per cent of the strength of the House. In 2010, when the NDA had scored a bigger win than this time, the share of upper castes had grown to 32.51 per cent almost equal to 1990. Even then, the Yadav had the most MLAs. Their number was 39 (16.4 per cent). However, even this was the lowest in the period from 1990 to 2010. In the assembly elected in 2010, of the 39 Yadavs, 27 were from the NDA, including 19 from JDU, eight from BJP and 10 from RJD. This time, the number of Yadav MLAs from RJD is 11 and from NDA is 13, of which seven are from JDU, four from BJP and two from LJP.

Besides Yadavs, the

representation of Muslims in the Bihar Vidhan Sabha has plummeted to a historic low. There are only 11 Muslim MLAs, who form just 4.52 per cent of the assembly. Muslims constitute 17.70 per cent of the state's population, which should have translated to 43 MLAs. In the assembly elected in 2010, there were 19 (7.8 per cent) Muslim MLAs, of which seven were from the JDU and one was from the BJP. In the assembly elected in 2015, the number of Muslim MLAs was 24. In 2020, their numbers dropped to 19. In the new assembly, the All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen(AIMIM) has the highest number of Muslim MLAs five. The RJD has three Muslim MLAs, the Congress has two and the JDU has one. Thus, the representation of upper castes has soared while the number of Muslim and Yadav MLAs is at a historic low.

Compared to 2010, the number of Yadav NDA MLAs has dropped by 14 and of Muslims by seven. The drop in the representation of these two numerically large communities overall is clearly due to the NDA giving a boost to the political clout of the upper castes at the cost of these two communities. This is bound to lead to a change in the power equations.

On the surface, the 2025 results seem similar to those of 2010. Dig a little deeper and much has changed in these 15 years. Deciphering that change is crucial to arriving at any conclusion regarding the political future of Bihar. In 2010, of the 206 seats won by the NDA, the JDU led the way with 115 seats, followed by the BJP with 91 seats. In the latest elections, the RJD has been confined to just 22 seats. In 2015, the RJD and the JDU were in an alliance, with the former leading in terms of number of seats won. With 53 seats, the BJP was third. But the JDU-RJD alliance did not last long and Nitish Kumar returned to the NDA. Meanwhile, with the BJP's rise at the national level, it turned increasingly aggressive. In 2020, the BJP, as part of its agenda of taking total control of Bihar, tried to use Chirag Paswan to finish off Nitish Kumar. As a result, the JDU ended up as the third biggest party in the House with 43 seats. The BJP was still behind the RJD in the seat tally with 74.

In 2020, Nitish Kumar did

become the chief minister in the NDA government but for the first time, he was a junior partner, with the BJP in the lead. He went on to realign with the RJD briefly but then, just before the 2024 Lok Sabha elections, was back with the NDA. Now, Nitish Kumar's position is even weaker. It is clear that he will merely be a puppet and that the BJP will impose its agenda on him. It was not without reason that after his return to the NDA, Nitish Kumar has kept quiet on the demand for including the expanded reservation quota on the basis of the caste survey in the Ninth Schedule of the Constitution. This, despite the fact that it was under his leadership that the state assembly had passed a Bill allocating 65 per cent reservation quota to SC-STs and EBC-BCs in the wake of the caste survey. In this connection, a decision of the state government announced on the eve of the 2025 assembly elections assumes significance. The government decided to lease out 1,050 acres of land acquired for setting up a thermal power plant in Pirpainti in Bhagalpur district to Narendra Modi's darling Adani at the rate of Re 1 per acre per year.

This time, the BJP's tally is 89 two down from 2010 and it is the single-largest party in the new assembly. The JDU, with 85 seats 30 less than 2010 is BJP's junior partner. The NDA's tally of 202 includes 29 seats won by allies other than the BJP and the JDU. The JDU has the highest number of seats since 2010. But in 2010, Nitish Kumar was the dominant partner. Now, he has ceded this position to the BJP. Nitish Kumar has no option but to be a puppet of the BJP.

In the new Nitish Kumar-led 27-member council of ministers, eight are from the upper castes, five from EBCs and eight from OBCs. Then, there are five Dalits and a Muslim. The composition of the assembly and the council of ministers signals the increased political clout of the upper castes who now have a greater control over the levers of power. For the first time, the Home Department has been given to a BJP minister. Samrat Chaudhary, who is a deputy chief minister, will hold the Home portfolio in the new government. Chaudhary is already talking the language of Uttar Pradesh Chief Minister Adityanath. It is clear that Bihar is on the way to becoming a graveyard of social justice and a playground for corporate czars.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

छत्तीसगढ़
सतत् प्रगति पथ पर
26 लाख
परिवारों को प्रधानमंत्री आवास
40 लाख
से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल
राज्य के शत्-प्रतिशत गांवों का
विद्युतीकरण
खनिज क्षेत्रों में विकास हेतु
डीएमएफ फंड
की सौगात
प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin
आवास और
सामाजिक सुरक्षा
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
RO. No. 13628/2
सुशासन से समृद्धि की ओर
ChhattisgarhCMO
DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

विष्णु के सुशासन में
महिला सशक्तीकरण

महिला शक्ति को सम्मान

69 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह **₹1000** की सहायता

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को **₹237 करोड़** की सहायता

19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार की सुनिश्चितता

महिला सुरक्षा के लिए **सखी वन स्टॉप सेंटर** और महिला हेल्पलाइन **181** की स्थापना

महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर **179 महतारी सदनों** का निर्माण

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्ती

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

RO. No. 13628/2

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर